बीवी-शौहर (पति-पत्नी) की ज़िम्मेदारियाँ

शरीअ़त की रौशनी में

लेखक

मुफ़्ती मुहृम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

(सदर, जमीअ़त पयामे अम्न, लखनऊ)

प्रकाशक

जमअ़ीयत पयामे अम्न

नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ,२० (यू०पी०) इण्डिया

बीवी-शौहर (पति-पत्नी) की ज़िम्मेदारियाँ

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नाम- बीवी-शौहर (पति-पत्नी) की ज़िम्मेदारियाँ
लेखक- मुफ़्ती मुहृम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
संस्करण हिन्दी- द्वितीय
पुस्तक संख्या- 2000
वर्ष- 2015
मूल्य- 32 रू०
कम्पोज़िंग- इरफ़ान अहृमद
प्रकाशक- जमअ़ीयत पयामे अम्न, नदवा रोड,
डालीगंज, लखनऊ-20 (यू०पी०) इण्डिया

Book Name	Biwi Shauhar Ki Zimmedari
Publisher:	Jamiat Payam-e-Amn Nadwa Road, Daliganj, Lucknow (U.P.) India
Website:	www.islamicjpamn.com
Mobile–	0091– 9919042879, 9984490150
E–Mail–	jpa_lko@yahoo.com, ataullah2012@gmail.com

मिलने के पते

1. जामिया दारे अरक़म मुहृम्मदपुर गौंती, फ़तेहृपुर
2. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी, 14, मुहृम्मद अ़ली बिल्डिंग भिंडी बाज़ार, मुम्बई. 400003
3. मुहृम्मद असलम काज़मी, मुहृल्ला दीवान निकट तय्यिब मस्जिद देवबन्द- 9760849186
4. मकतबः अल् फ़ुरक़ान, नज़ीराबाद (लखनऊ)
5. आसिफ़ किताब घर, मीना मार्केट जामा मस्जिद रोड, शाह मारूफ़ गोरखपुर, यू०पी०-9415857727
6. सुब्ह़ानिया बुक डिपो, नया मुहृल्ला जबलपुर मध्य प्रदेश- 9424708020

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना	5
भाग-1 शादी और इस्लाम	
शादी और इस्लाम	9
शादी की क़ुद्रत न हो तो	9
घरेलू ज़िन्दगी की अहमियत	10
अम्बिया-ए-किराम की सुन्नतें	10
ज़िना और निकाह़ में अन्तर	11
बीवी का इन्तिख़ाब (चुनाव)	11
लव आफ़्टर मैरिज	12
निकाह़ के एलान का हुक्म	12
मस्जिद में निकाह़ का फ़ायदा	13
निकाह़ का तरीक़ा	13
निकाह़ का ख़ुत्बः	13
ख़ुत्बः के शब्द	14
ह़ज्जतुल् विदाअ़ के मौक़े पर बीवी-शौहर के हुक़ूक़	15
महेर का ह़क़	16
महेर की सुन्नतें	16
आप (सल्ल०) का महेर	17
महेर फ़ातिमी	17
महेर की क़ीमत	17
वलीमा	18
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का वलीमा	18
लड़की वालों से माँग करना	19
दुल्हा और दुल्हन की मुलाक़ात	20
भाग-2 मर्द की ज़िम्मेदारियाँ	
मर्द की ज़िम्मेदारियाँ	22
ज़ीनत की चीज़ें	25

विषय	पृष्ठ सं०
बच्चे का दूध	25
दवा इलाज का ख़र्च	25
महारिम से मिलने का ह़क़	26
माँ बाप लाचार हों तो	27
ग़ैर मह़रम के यहाँ जाने पर रोक	27
नान व नफ़्क़ा (यानी मकान और रोटी, कपड़ा)	28
रिहाईशी मकान की शर्तें	28
खाना का ख़र्चा	29
अगर मर्द ग़रीब है तो ख़ादिमा का ख़र्चा वाजिब नहीं	30
घर के अन्दर और बाहर की ज़िम्मेदारी	30
ख़र्च तय करना	31
औ़रत के निकाह़ फ़स्ख़ करवाने का ह़क़	31
कफ़न-दफ़न का ख़र्च	32
सामाने जहेज़ की ह़क़दार	32
औ़रत को मारने का ह़क़	32
तलाक़	33
तलाक़ की शर्तें	33
बीवी की अहम ज़रूरतें	35
शौहर की ग़ल्तियाँ	36
बीवी को ख़ुश रखने के उसूल	37
औ़रतों के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फ़रमान	37
औ़रतों के सम्बन्ध में क़ुर्आन की तअ़लीमात	39
भाग-3 बीवी की ज़िम्मेदारियाँ	
बीवी की ज़िम्मेदारियाँ	42
औ़रत पर शौहर की इताअ़त	43
ख़ुलअ़	44
बद्सूरती की बिना पर ख़ुलअ़	46
लिआ़न	47
शौहर (पति) को ख़ुश रखने के उसूल	49
नेक बीवी की सिफ़ात	50
शादी से सम्बन्धित कुछ नसीह़तें	50

प्रस्तावना

शादी इन्सान की एक फ़ितूरी ज़रूरत है और इस के बहुत से फ़ायदे हैं।

ग़ैर शादीशुदा लड़का और लड़की उस परिन्दे की तरह़ होते हैं जिस का कोई घोसला नहीं होता और शादी के ज़रिये एक घर, ठिकाना और पनाहगाह ह़ासिल कर लेते हैं। ज़िन्दगी का साथी, मूनिस व ग़मख़्वार, राज़दार, मुह़ाफ़िज़ और मददगार पा लेते हैं। इसलिए कि जिन्सी ख़्वाहिश, इन्सान के वजूद की एक बहुत अहम ख़्वाहिश होती है। इसीलिए एक साथी के वजूद की ज़रूरत होती है कि सुकून व इत्मिनान के साथ ज़रूरत के वक़्त उस के वजूद से फ़ायदा उठाये और लज़्ज़त ह़ासिल करे।

जिन्सी ख़्वाहिशात सह़ीह़ तरीक़े से पूरी होनी चाहिए क्योंकि यह एक फ़ितूरी ज़रूरत है वरना मुम्किन है कि उस के समाजी, जिस्मानी और नफ़्सियाती तौर पर बुरे नतायज निकलें। जो लोग शादी से भागते हैं आ़मतौर से ऐसे लोग नफ़्सियाती और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तिला होते हैं।

शादी के ज़रिये इन्सान औलाद पैदा करता है, बच्चे का वजूद शादी के नतीजे में ज़ाहिर होता है और ख़ानदान की बुनियाद को मज़बूत करने और मियाँ-बीवी के सम्बन्ध को ख़ुशगवार बनाने का ज़रिया बनता है। यही वजह है कि क़ुर्आन और अह़ादीस में शादी के मस्ले पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है।

मिसाल के तौर पर अल्लाह तआ़ला क़ुर्आन मजीद में फ़रमाता है, "ख़ुदा की निशानियों में से एक निशानी यह (भी) है कि उस ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी का साथी बनाया ताकि तुम उन से उन्स (मुह़ब्बत) पैदा करो"।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है "जो शख़्स चाहता है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करे उसे चाहिए कि वह शादी करे जिस के ज़रिये औलाद पैदा हो (और मुसलमानों की तअ़दाद में इज़ाफ़ा हो) ताकि क़ियामत में मेरी उम्मत की तअ़दाद, दूसरी उम्मतों से ज़्यादा हो।"

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) फ़रमाते हैं कि "शादी करो कि यह रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सुन्नत है।"

इन्सान इस दुनिया में इसलिए नहीं आया है कि वह एक मुद्दत तक खाये, पीये, सोये, ऐ़श करे, लज़्ज़तें उठाये और फिर मर जाए। इन्सान का मर्तबः इन तमाम बातों से कहीं बुलन्द है। इन्सान इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि इ़ल्म व अ़मल और अच्छे अख़्लाक़ के ज़रिये अपने नफ़्स की तर्बियत करे और इन्सानियत की राह तय करे।

इन्सान एक ऐसी मख़्लूक़ है जो तहज़ीब व तज़्किया नफ़्स के ज़रिये बुराईयों से बच कर अपने फ़ज़ायल और बुलन्द अख़्लाक़ के ज़रिये ऐसे मक़ाम पर पहुँच सकता है जहाँ फ़रिश्तों की भी रसाई मुम्किन नहीं।

इन्सान के इस दुनिया में आने का मक़्सद यह है कि पैग़म्बरों की हिदायत व रहनुमाई के ज़रिये दीन के उसूल, क़वानीन के मुताबिक़ अ़मल कर के अपने लिए दीन व दुनिया की सआ़दत ह़ासिल करे और आख़िरत में अल्लाह की रह़मत के साये में ख़ुशी व आराम के साथ हमेशा की गुज़ारे।

मर्द और औ़रत दोनों के लिए कहा गया है कि ज़िन्दगी के साथी के इन्तेख़ाब के वक़्त दीनदारी और अख़्लाक़ को बुनियादी शर्त करार दें।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया,

"जब मैं इरादा करता हूँ कि दुनिया व आख़िरत की तमाम ख़ूबियाँ किसी मुसलमान शख़्स के लिए जमा कर दूँ तो उस का दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान और मुसीबतों पर सब्र करने वाला जिस्म अ़ता करता हूँ और उस को ऐसी मोमिन बीवी देता हूँ कि जब भी वह उस की तरफ़ देखे उसे ख़ुश कर दे और उस की ग़ैर मौजूदगी में अपने नफ़्स और उस के माल की हिफ़ाज़त करने वाली हो।"

तारीख़ में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की शादी के बाद मुबारक देने और ह़ाल पूछने के लिए उन के घर तशरीफ़ ले गये। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) से पूछा, अपनी शरीके ज़िन्दगी (जीवन साथी) को तुमने कैसे पाया? कहा, "ख़ुदा की इताअ़त के लिए फ़ातिमा को मैने बेहतरीन मददगार पाया"।

इस के बाद ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) से पूछा, तुम ने अपने शौहर को कैसा पाया?

कहाः "बेहतरीन शौहर"।

इस से मालूम हुआ कि बीवी अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में मदद्गार होती है और गुनाहों से सुरक्षित रखने का ज़रिया बनती है। अल्लाह तआ़ला उम्मत में सुन्नत के मुताबिक़ निकाह़ को रायज करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।

आख़िर में हम तमाम मुह़सिनीन के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने किसी भी तरह़ का तआ़उन किया हो। अल्लाह तआ़ला इसे क़ुबूल फ़रमाकर इस्लाह़ का ज़रिया बनाये और उम्मत में सुन्नत तरीक़े से शादी करने का मिज़ाज बने। वस्सलाम

मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
नद्वतुल उ़लमा, लखनऊ
11-1-2011

भाग-1

शादी और इस्लाम

शादी और इस्लाम

अल्लाह तआ़ला ने जब इन्सान को पैदा किया तो उस के अन्दर बहुत सी इच्छाएँ और तमन्नाएँ ऐसी रखीं, जो इन्सान की नस्ल को बाक़ी रखने के लिए ज़रूरी हैं।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

और उसी की निशानियों में से यह है कि उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स की बीवियाँ बनाई ताकि तुम को उस के पास आराम मिले और तुम में मुहब्बत व हमदर्दी पैदा की। **(सूरः रूम-21)**

इसीलिए इस्लाम ने ख़ासतौर पर शादी से नफ़रत को हराम क़रार दिया है, जबकि मुसलमान शादी पर क़ुदरत रखता हो।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः-

مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِاَنْ يَّنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

यानी जो व्यक्ति शादी करने की क्षमता रखता हो और वह शादी न करे तो वह हम में से नहीं। **(बैहक़ी)**

इस्लाम ने जायज़ तरीक़े यानी शादी के ज़रिये शहवत (इच्छापूर्ति) पूरी करने को उन नेक आ़माल में शुमार किया है जिन का करने वाला अल्लाह तआ़ला की रज़ामन्दी और अज्र व सवाब का हक़दार बन जाता है।

शादी की क़ुद्रत न हो तो-

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

(सूरः अल् नूर आयत नं० 23)

"और ऐसे लोगों को जिन को निकाह की क्षमता नहीं, उन को चाहिए कि अपने नफ़्स को पाक रखे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उन को अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दे।" **(सूरः अल् नूर आयत नं० 23)**

अल्लाह तआ़ला हमेशा नेक लोगों की सरपरस्ती फ़रमाते हैं और उन के लिए हर ग़म से छुट्कारा और तक्लीफ़ से निजात देते हैं। अल्लाह तआ़ला का इर्शाद हैं।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से डरता है अल्लाह तआ़ला उस के लिए निजात की राह निकाल देता है और उस को ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ से उस का गुमान भी नहीं होता। **(सूरः तलाक़ आयत नं० 2,3)**

घरेलू ज़िन्दगी की अहमियत

इस्लाम दीने फ़ित्रत है। उस ने इन्सानों को अकेले ज़िन्दगी गुज़ारने का हुक्म नहीं दिया। नबी करीम (सल्ल०) ने फ़रमाया,

"इस्लाम में रहबानियत नहीं है"।

इस्लाम ने यह तअ़लीमात नहीं दीं कि तुम जंगलों और ग़ारों में जाकर रहना शुरु कर दो बल्कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया-

(बस तुम निकाह़ करो उन औ़रतों के साथ जो तुम्हें पसन्द हों, दो हों, तीन हों, चार हों, बस अगर तुम्हें यह डर हो कि मैं इन्साफ़ नहीं कर सकूँगा तो फिर तुम सिर्फ़ एक से निकाह़ करो।

इसीलिए नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, निकाह़ मेरी सुन्नत है।

"जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वह मेरा मानने वाला नहीं ।"

अम्बिया-ए-किराम की सुन्नतें

'तिर्मिज़ी शरीफ़' की रिवायत है कि चार चीज़ें नबियों की सुन्नतें हैं।

ह़या : ह़यादारी यानी तमाम अम्बिया बा ह़या हुआ करते थे।

इत्र : यानी तमाम अम्बिया ख़ुशबू का इस्तेमाल करते थे।

मिस्वाक : यानी तमाम अम्बिया मिस्वाक किया करते थे।

निकाह़ : यानी अक्सर अम्बिया शादी शुदा ज़िन्दग़ी (पारिवारिक जीवन) बसर किया करते थे।

इस से मालूम हुआ कि नबी शादी करते थे।

ज़िना और निकाह़

ज़िना (बलात्कार) और निकाह़ में यह अन्तर है कि ज़िना केवल इच्छापूर्ति का नाम है, जबकि निकाह़ में ओ़रत की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है, उस का महेर अदा करना पड़ता है और ओ़रत को उस की विरासत में ह़िस्सा हो जाता है। जहाँ इन्साफ़ की ज़िन्दग़ी नहीं होती वहाँ लोग निकाह़ से घबराते हैं क्योंकि वह औरत को एक खिलौना समझ कर उस से ज़िन्सी ज़रूरत जब तब चाहते हैं पूरी करते हैं, जब चाहते हैं बाहर कर देते हैं।

बीवी का इन्तिख़ाब (चुनाव)

ओ़रत का इन्तिख़ाब आ़मतौर पर इन वजहों से किया जाता है।

I. पहला माल की वजह से निकाह़ किया जाता है।

II. दूसरा उस के ह़सब व नसब की वजह से निकाह़ करते हैं यानी ऊँचे ख़ानदान की वजह से निकाह़ करते हैं।

III. तीसरे उस के नेकी की वजह से निकाह़ किया जाता है।

IV. दीनदारी की वजह से निकाह़ किया जाता है।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया, "मैं तुम्हें इस बात की नसीह़त करता हूँ कि तुम अपने लिए दीन की बुनियाद पर रिश्तों को तलाश करो।" **(बुख़ारी)**

जब बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो अच्छी ज़िन्दग़ी कैसे निभेगी, जिस ने केवल ख़ूबसूरती को देखा तो बताइए शक्ल की ख़ूबसूरती कितने दिन रहती है? यह चन्द साल की बात होती है, जवानी हमेशा तो नहीं रहती जिस की बुनियाद ही कमज़ोर होगी उस पर बनने वाला घर भी कमज़ोर होगा।

नेकी और शराफ़त ऐसी चीज़ है जो वक़्त के साथ बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस बुनियाद पर जो घर बनेगा वह हमेशा मज़बूत होता जाएगा। नेकी

और दीनदारी की बुनियाद पर बीवियों को तलाश करना चाहिए इसलिए कि ख़ूबसूरत ओ़रत का पति जब उसे देखता है तो उस की आँखें ख़ुश होती हैं और नेक सीरत ओ़रत का पति जब उसे देखता है तो उस का दिल ख़ुश हो जाता है, तो आँखों को ख़ुश करने के बजाए अपने दिलों को ख़ुश करना चाहिए।

"दुनिया एक मताअ़ है और इस दुनिया की सब से क़ीमती मताअ़ नेक बीवी है।" *(मुस्लिम)*

यानी अल्लाह तआ़ला जिसे नेक बीवी अ़ता कर दे उसे समझना चाहिए कि मुझे दुनिया की बहुत बड़ी नेअ़मत मिल गई। जब नियत में माल होगा या केवल ख़ूबसूरती होगी तो झगड़े होंगे, केवल ह़सब व नसब की वजह से निकाह़ होगा तो भी झगड़े होंगे। शरीअ़त ने इस बात की तअ़लीम दी है कि निकाह़ का मक़्सद तो यह हो कि मैं निकाह़ इसलिए करता हूँ ताकि पाकबाज़ी की ज़िन्दग़ी गुज़ार सकूँ। जब मक़्सद यह होगा तो इस मक़्सद की वजह से घर आबाद हो जाएँगे।

लव आफ़्टर मैरिज–

आज कुफ़्र की दुनिया में (मुह़ब्बत की शादी) Love Marraige का लफ़्ज़ बहुत आ़म है। वह लोग शादी से पहले ही जिन्सी सम्बन्ध कर लेते हैं (इकट्ठे रहना) Live together शुरु कर देते हैं। इस्लाम ने इस को ह़राम क़रार दिया है। फ़रमाया कि इस्लाम में लव मैरिज का तसव्वुर नहीं बल्कि लव आफ़्टर मैरिज (शादी के बाद मुह़ब्बत) Love after Marraige का तसव्वुर है। जब निकाह़ हो गया तो जितनी मुह़ब्बत करोगे उतना अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अज्र मिलेगा।

इस अज्र का तसव्वुर यहाँ तक पेश किया गया है कि नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि जब मियाँ अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने मियाँ को देखकर मुस्कुराती है तो अल्लाह तआ़ला उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। इस से अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह तआ़ला मुह़ब्बतों भरी ज़िन्दग़ी को कितना पसन्द करते हैं।

निकाह़ के एेलान का हुक्म–

निकाह़ एेलान करके करना चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमायाः–

"निकाह़ की एक दूसरे के दर्मियान तश्हीर (एलान) करो"।

जुमअ़ के दिन अ़स्र की नमाज़ के बाद मस्जिद में निकाह़ का पढ़ना सुन्नत है क्योंकि मस्जिद में ज़्यादा लोग होते हैं और हुक्म भी यही है कि ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहिए ताकि निकाह़ का एलान हो जाए। इस में सवाब ज़्यादा मिलता है।

मस्जिद में निकाह़ का फ़ायदा-

मस्जिद में निकाह़ करने में एक ख़ास बात यह है कि अगर घरों में निकाह़ होगा तो आप देखेंगे कि कोई बैठा सिगरेट पी रहा होगा, कोई तस्वीरें बना रहा होगा यानी हर एक के दिल ग़ाफ़िल होंगे। ह़ालांकि निकाह़ का वह वक़्त होता है जब कि दो लोगों के नई ज़िन्दगी की बुनियाद रखी जा रही होती है और इस बुनियाद में उन को दुआ़ओं की ज़रूरत होती है। निकाह़ के वक़्त ज़्यादा लोगों को बुलाने का मक़्सद ही यही होता है कि ज़्यादा लोगों की दुआ़ओं से उन के नये घर की बुनियाद पड़े। इसलिए घर और मस्जिद में पढ़े गये निकाह़ में ज़मीन व आसमान का अन्तर है।

इस में उ़लमा और परहेज़गार पाक-साफ़ लोग होते हैं, उन सब की दुआ़एँ नसीब होती हैं और अल्लाह तआ़ला उन की दुआ़ओं की बरकत से पूरी ज़िन्दगी में ख़ुशियाँ नसीब करेगा। इन्शा अल्लाह।

निकाह़ का तरीक़ा

निकाह़ का सुन्नत तरीक़ा यह है कि चन्द मुसलमानों या कम से कम दो मर्दों या एक मर्द और दो औ़रतों की मौजूदगी में ईजाब व क़ुबूल हो।

चूंकि दुल्हन (औ़रत) पर्दे में होती है, इसलिए लड़की के वकील की हैसियत से एक शख़्स हो और दो गवाह, जो लड़की के रज़ामन्दी की इत्तिला क़ाज़ी को दें और फिर क़ाज़ी निकाह़ पढ़ाये।

निकाह़ का ख़ुत्बः

निकाह़ (ईजाब व क़ुबूल) के वक़्त ख़ुत्बः पढ़ना सुन्नत है। निकाह़ होने के

बाद खजूर या छुआरा तक़्सीम करना मुस्तह़ब है। निकाह़ के वक़्त ही महेर मुक़र्रर हो जाना चाहिए जो न बहुत कम हो जिस से औ़रत की अहमियत घट रही हो और न इतना ज़्यादा हो कि जिस का अदा करना शौहर के लिए नामुम्किन (असम्भव) हो। महेर की अदायगी या कम से कम उस के कुछ ह़िस्से की अदायगी तुरन्त हो जाए तो बेहतर है।

ख़ुत्बः के शब्द-

نحمدهٗ وَنَستعينهٗ ونستغفره.......................امّا بعد.

"तमाम तअ़रीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, हम उसी की तअ़रीफ़ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं, और उसी से माफ़ी के तलबग़ार हैं और उसी पर ईमान लाते हैं। उसी पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिस इन्सान को अल्लाह सही रास्ता दिखाए उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह रास्ता न दिखाए उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अ़लावा कोई इ़बादत के लायक़ नहीं और हम इस बात की गवाही देते हैं कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

"ऐ लोगों! अपने रब से डरो, जिसने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों से कसरत से (भारी संख्या में) मर्द और औ़रत फैला दिये; और अल्लाह से जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे के सामने अपनी माँगे रखते हो 'डरो', और नाते-रिश्ते (काटने) से, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।" **(सूरः निसा-1)**

अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

"ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का ह़क़ है, और न मरना सिवाय इस ह़ाल में कि तुम मुस्लिम हो।" **(सूरः आले इमरानः 102)**

अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝

"ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और बात सीधी कहा करो।" **(सूरः अह़ज़ाबः 70)**

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने फ़रमायाः

"أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي."

"मैं तो औ़रतों से निकाह़ करता हूँ, तो जिस ने मेरे तरीक़े से मुँह फेरा वह मुझ में से नहीं।" **(सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम, किताबुल् निकाह़)**

रसूलुल्लाह (सल्ल०) इन आयात को निकाह़ के ख़ुत्बों में आ़मतौर से पढ़ा करते थे। इन आयतों में इन्सानियत के पहले जोड़े की पैदाइश का ज़िक्र है, जिस से करोड़ों मर्द औ़रत पैदा हुए और फिर इस वाक़िये (घटना) को सामने रखकर बताया गया है कि हम को चाहिए कि हम अपने कारोबार और मामलात में अपने उस ख़ालिक़ का और उन रिश्तों का लिह़ाज़ रखें। निकाह़ न हो तो दुनिया का कोई रिश्ता पैदा ही न हो, इसलिए दुनिया की हर क़राबत और तअ़ल्लुक़ का रिश्ता उसी की वजह से वजूद में आया है और इस नुक़्ते से भी दुनिया में निकाह़ की अहमियत बहुत बड़ी है कि इसी से सारी दुनिया की मुह़ब्बत और उल्फ़त की शुरुआ़त होती है।

ह़ज्जतुल् विदाअ़ और बीवी-शौहर के ह़ुक़ूक़-

"लोगों! औ़रतों के ह़क़ में मेरी नेकी की वसीयत को मानो कि यह तुम्हारे हाथों में क़ैद हैं, तुम सिवा इस के किसी और बात का ह़क़ नहीं रखते, लेकिन यह कि वह खुली बेह़याई का काम करें, अगर ऐसा करें तो उन को अपने बिस्तरों से अलग कर दो और उन को हल्की मार मारो, अगर वह तुम्हारी बात मान लें

तो उन पर इल्ज़ाम लगाने के बहाने न ढूंढ़ों, बेशक तुम्हारा औ़रतों पर और औ़रतों का तुम पर ह़क़ है, तुम्हारा ह़क़ तुम्हारी औ़रतों पर यह है कि वह तुम्हारे बिस्तर को दूसरें से पामाल न कराएँ जिन को तुम नापसन्द करते हो और न तुम्हारे घरों में उन को आने की इजाज़त दें, जिन का आना तुम को पसन्द नहीं और हाँ! उन का ह़क़ तुम पर यह है कि उन के पहनाने और खिलाने में नेकी करो।" **(इब्ने माजा, किताबुन् निकाह़)**

महेर का ह़क़

निकाह़ एक मुआ़हिदा है जो बीवी-शौहर के बीच तय होता है। इस मुआ़हिदे में अगर कोई औ़रत अपनी तरफ़ से शरायत रखना चाहे तो शरीअ़त ने इस की गुन्जाइश रखी है कि इतने महेर में मैं निकाह़ करुँगी।

महेर की सुन्नतें-

महेर के मामले में तीन सुन्नतें हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक़ इन तीनों में से किसी एक सुन्नत पर अ़मल करना चाहिए और महेर की कम से कम मिक़्दार दस दिरहम चाँदी होती है, जिसका वज़न मौजूदा ग्राम के एतिबार से 30 ग्राम 688 मिलीग्राम चाँदी होती है। **(ईज़ाहुल् मसायल पेज नं० 129)**

(1) महेर फ़ातिमी-

महेर फ़ातिमी, यानी ह़ज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का महेर या फिर सय्यदा आ़ईशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का महेर जिसे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अदा फ़रमाया उस को रखा जाए तो यह सुन्नत है।

(2) महेर मिस्ल-

लड़की के क़रीबी रिश्तेदारों का आ़मतौर से जो महेर हो, जैसे- माँ, ख़ाला, बहन, फूफी आदि का उस को महेर मिस्ल कहा जाता है। उन के बराबर महेर बाँधना भी सुन्नत है।

(3) लड़की के एतिबार से महेर-

लड़की की योग्यता, नेकी और शराफ़त को सामने रखते हुए उस के निकाह़ का महेर मुक़र्रर किया जाए। (कुछ लोग समझते हैं कि लड़के का एतिबार कर

के महेर बाँधा जाए यह ग़लत है।)

शरीअ़त ने इन तीन तरह़ के अख़्तियारात दिये हैं। इन में से जिसे चाहे पसन्द कर ले उसे सुन्नत का सवाब मिलेगा।

आप (सल्ल०) का महेर-

ह़ज़रत आ़इशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बीवियों का महेर कितना था, उन्होंने कहा बारह अवक़िया और एक नश। फिर फ़रमाया, जानते हो नश क्या है? रावी ने कहा नहीं, तो आप ने फ़रमाया निस्फ़ अवक़िया लगभग पाँच सौ दिरहम हुआ। यही आप (सल्ल०) की बीवियों का था, मगर उम्मे ह़बीबा का महेर चार हज़ार दिरहम था, जिसे नज्जाशी ने आप (सल्ल०) की तरफ़ से अदा किया था। **(तफ़्सीर मज़हरी भाग- पेज नं० 51)**

महेर फ़ातिमी-

ह़ज़रत सय्यदह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का महेर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने पाँच सौ दिरहम रखा था। **(शरह़ मुवाहिब भाग 2, पेज नं० 473)**

ह़ज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के महेर को महेर फ़ातिमी कहते हैं कि जितना उन का महेर था, उतना यानी महेर फ़ातिमी होता है। 500 दिरहम जिस की मिक़्दार मुफ़्ती मुह़म्मद शफ़ीअ़ साह़ब ने लिखा है। 31 तोला तीन माशा के बराबर चाँदी यानी एक किलो 531 ग्राम चाँदी या उस की क़ीमत।

(इस्लामी फ़िक़्ः भाग 2 पेज नं० 58)

महेर की क़ीमत-

आजकल चूंकि रुपये की क़ीमत जल्द घटती बढ़ती रहती है (घटती ज़्यादा है) इसलिए अच्छा यह है कि महेर सोने या चाँदी के वज़न में मुक़र्रर किया जाए वैसे किसी भी मालियत रखने वाली चीज़ (चाहे ग़ल्ला हो, जायदाद हो, कपड़ा हो, कोई क़ीमती चीज़ हो बशर्ते कि तय की जा सकती हो) का महेर मुक़र्रर किया जा सकता है, महेर का अदा करना दूसरे क़र्ज़ों की तरह़ ज़रूरी है, महेर अदा करने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। औ़रत की तरफ़ से रस्मी और दिखावे से महेर माफ़ नहीं होता। हाँ, अगर खुशदिली से बग़ैर किसी दबाव और धौंस के माफ़ कर दे तो हो सकता है।

निकाह़ के वक़्त महेर का ह़क़ मुक़र्रर करते हुए कहा जाता है कि महेर मुअ़ज्जल होगा या मुवज्जल होगा। मुअ़ज्जल का मतलब है जल्दी करना। यानी मियाँ-बीवी के इकट्ठे होने से पहले महेर मुअ़ज्जल अदा करना ज़रूरी है। पति अगर अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा।

महेर की दूसरी क़िस्म मुवज्जल है। इस का मतलब है जब बीवी चाहे अपनी इच्छा से बाद में ले सकती है। शौहर के लिए मुनासिब नहीं कि महेर का ह़क़ माफ़ करवाने के लिए बीवी पर दबाव डाले।

वलीमा

निकाह़ के बाद वलीमा करना सुन्नत है। बाआसानी (बिला क़र्ज़ लिए) जितने लोगों को खिलाया जा सके खिला दिया जाए। ग़रीबों और मिस्कीनों को इस में ज़रूर दअ़वत दी जाए क्योंकि खाने की जिस दअ़वत में सिर्फ़ मालदारों और दौलतमन्दों को बुलाया जाए ग़रीबों को छोड़ दिया जाए उसे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने बद्तरीन दअ़वत क़रार दिया है।

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) ने अपने वलीमा में जौ और मकई खिलाया था।

(तब्रानी भाग 9, पेज नं० 209)

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का वलीमा-

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का वलीमा तीन तरह़ हुआ था।

एक वलीमा तो इस तरह़ हुआ था कि सफ़र में निकाह़ और रुख़्सती भी हुई तो सुबह़ रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दस्तरख़्वान बिछवा कर सह़ाबा से फ़रमाया कि तुम्हारे पास जो है लेकर आओ, सह़ाबा लेकर आये और आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि यह तुम्हारी माँ का वलीमा है। **(बुख़ारी भाग एक, पेज 53, 54)**

दूसरा वलीमा रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस तरह़ किया था कि एक प्याला दूध का हदिया आया था, ख़रीदा नहीं गया था वही पी लिया गया और पिला दिया गया।

(मुस्नद अह़मद, भाग 9, पेज नं० 227)

तीसरा वलीमा ह़ज़रत ज़ैनब (रज़ि०) का निकाह़ जो आसमान पर हुआ था उस के वलीमा में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बकरी ज़िबह़ फ़रमाई और गोश्त रोटी

सब को खिलाया। **(मुस्लिम भाग 1, पेज नं० 460)**

आप (सल्ल०) के घर में सहाबा बारी-बारी आते रहे और खाते रहे।

जहेज़ या लड़की वालों से माँग करना-

सब से ज़्यादा शरीअ़त की ख़िलाफ़वर्ज़ी निकाह़ में होती है यानी शादी के मौक़े पर की जाती है और बड़े अफ़्सोस की बात है कि शादी के मौक़े पर हर रिश्तेदार को राज़ी करने की कोशिश की जाती है यहाँ तक कि ख़ादिमों और नौकरों को भी, मगर अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) को ख़ुश करने के बजाए (शरीअ़त की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर के) नाराज़ किया जाता है, ह़ालांकि ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसे मौक़े पर अल्लाह और रसूल (सल्ल०) को राज़ी करने की पूरी कोशिश की जाती चाहे उस के नतीजे में कोई इन्सान नाराज़ होता।

शादी के मौक़े पर औ़रत (दुल्हन) पर शरीअ़त ने कोई ख़र्च ज़रूरी नहीं किया। न जहेज़, न बारात को खाना खिलाना, न बरातियों की ख़ातिर करना, बल्कि लड़के (होने वाले दुल्हा) का बीवी (दुल्हन) या उस के सरपरस्तों (बाप वग़ैरह) से जहेज़ का या बारात को खाना खिलाने का या उन की ख़ातिर करने की माँग करने और उन्हें इन बातों पर मजबूर करने पर लड़की वाले ने अगर बारात के खाने या नाश्ते का जबरन इन्तिज़ाम किया तो उस का खाना किसी बाराती या दुल्हा और उस के रिश्तेदारों तक के लिए जायज़ नहीं होगा। ह़दीस शरीफ़ में है:

"لا يحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه" (مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۳)

"किसी मुसलमान का माल (इस्तेमाल करना) उस की ख़ुश दिली के बग़ैर ह़लाल नहीं"।

इसी तरह़ अगर फ़रमाइश कर के जहेज़ लिया गया या नक़्द रक़म ली जाए इस का कोई जवाज़ नहीं तो भी मर्द (दुल्हा) या लड़के वालों के लिए सह़ी नहीं। निकाह़ के वक़्त और बहुत सी जो रस्में, ग़ैर मुस्लिमों के देखा-देखी मुसलमानों में रिवाज पा गई हैं उन से बचना चाहिए।

जैसे- गाना, बाजा, वीडियो का इस्तेमाल ग़ैर मह़रम मर्दों और औ़रतों का एक साथ उठना-बैठना, खाना-पीना, ग़ैर मह़रम मर्दों के सामने औ़रतों का बेपर्दा

सामने आना या वीडियो फ़िल्म बनाना आदि।

दुल्हा और दुल्हन की मुलाक़ात

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, तुम में से कोई शख़्स जब किसी औ़रत से शादी करे तो उसे चाहिए कि उसकी पेशानी (मस्तिष्क) पर हाथ रखकर अल्लाह तआ़ला का नाम ले और यह दुआ़ करे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبُلتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شِرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبلْتَهَا عَلَيْهِ۔ (بخاری،ابوداؤد)

ऐ अल्लाह! मैं इस की भलाई और इसकी फ़ित्री (Natural) आ़दतों की भलाई का सवाल करता हूँ और मैं इसकी बुराई और इस की फ़ित्री (Natural) आ़दतों की बुराई से आप की पनाह माँगता हूँ।

2- दुल्हा और दुल्हन को चाहिए कि दो रकअ़त नफ़्ल नमाज़ पढ़कर अल्लाह तआ़ला से ख़ैर व बरकत की दुआ़ करे।

3- दुल्हा को चाहिए कि दुल्हन के साथ नर्मी से बात करे और उसे खाने-पीने की कोई चीज़ पेश करे। इसलिए कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब ह़ज़रत आ़ईशा (रज़ियल्लाहु अ़न्हा) के पास तशरीफ़ लाए तो दूध का एक प्याला साथ लाये, खुद पिया फिर ह़ज़रत आ़ईशा (रज़ियल्लाहु अ़न्हा) को दिया तो उन्होंने सर झुका लिया और शर्मा गईं।

बिलाशुब्हा यह बीवी को मानूस करने और उस से आपसी मुह़ब्बत को मज़बूत करने का ज़रिया है।

4- हमबिस्तरी या सम्भोग के आदाब में से एक अदब यह है कि दुल्हा-दुल्हन दोनों बिल्कुल नंगे न हों। इसलिए कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः

ان الله تعالى حيى ستير يحب الحياء والستر۔ (احمد،ترمذی)

बेशक अल्लाह तआ़ला ह़या (शर्म) और सतर (पर्दा) वाले हैं और ह़या और पर्दा को पसन्द करते हैं।

आप ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम नंगे होने से बचो, इसलिए कि तुम्हारे साथ वह (फ़रिश्ते) हैं जो तुम से बाथरूम और हमबिस्तरी (सम्भोग) के समय अलग

होते हैं इसलिए उन से शर्म करो और उनका सम्मान करो।

5- हमबिस्तरी के समय यह दुआ माँगे-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا ۔ (بخاری)

बिस्मिल्लाह, ऐ अल्लाह! हम को शैतान से बचा ले और शैतान को इस औलाद से दूर फ़रमा दे जो तू हमें अ़ता फ़रमाए। **(बुख़ारी)**

इस से अगर अल्लाह तआ़ला ने उन के लिए औलाद लिखी होगी तो शैतान उस को कभी नुक़्सान नहीं पहुँचा सकेगा।

6- बीवी से जिस तरह़ चाहे हमबिस्तरी (सम्भोग) कर सकता है बशर्ते कि यह काम फ़र्ज (यानी अगले रास्ते) के ज़रिये से हो। इसलिए कि अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाते हैं:-

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेत की तरह़ से हैं। सो अपने खेत में जिस तरह़ होकर चाहे आओ। **(सूरः बक़रः आयत नं० 223)**

मतलब यह है कि अपनी बीवियों से हमबिस्तरी उस रास्ते से करे। जहाँ से बच्चा पैदा होता है जिस तरह़ से चाहे, चाहे सामने की तरफ़ से हो या पहलू बदल कर।

7- अगर एक बार के बाद दुबारा इच्छा हो तो मुस्तह़ब यह है कि पहले वुज़ू कर ले इसलिए कि दोनों सोह़बतों (सम्भोग) के दर्मियान वुज़ू कर लेने से सुस्ती दूर हो जाती है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, "जब तुम में से कोई शख़्स अपनी बीवी से सोह़बत (सम्भोग) करे और दोबारा फिर वही काम करना चाहे तो उसे चाहिए कि वुज़ू कर ले और अगर दोनों हमबिस्तरियों (सम्भोग) के दर्मियान ग़ुस्ल कर लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है"। **(अबूदाऊद)**

8- मियाँ बीवी दोनों के ह़क़ में अफ़ज़ल यह है कि ग़ुस्ल करने में जल्दी करे और अगर सोने से पहले सुस्ती की वजह से ग़ुस्ल न कर सके तो मुस्तह़ब यह है कि कम से कम वुज़ू कर के सोये। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ियल्लाहु अ़न्हा) के बयान से रसूलुल्लाह (सल्ल०) का ऐसा ही मअ़मूल साबित होता है। **(मुस्लिम)**

9- मियाँ-बीवी एक बर्तन से ग़ुस्ल कर सकते हैं। इसलिए कि ह़ज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (सल्ल०) एक बर्तन से ग़ुस्ल किया करते थे जो मेरे और आप के दर्मियान रखा रहता था। हम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से उस बर्तन में टकरा जाते थे। आप मुझ से पहले फ़ारिग़ हो जाते थे यहाँ तक कि मैं यह कहा करती थी कि मेरे लिए भी (पानी) छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। **(तिर्मिज़ी भाग 1, पेज नं० 567)**

(10) मियाँ-बीवी के लिए यह ह़राम है कि वह दूसरों के सामने तन्हाई की बातें ज़बान या इशारे से बयान करें। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया, "क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला के यहाँ दर्जे के एतिबार से सब से बुरा वह शख़्स होगा जो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, फिर उस के राज़ को दूसरों के सामने बयान करे।" **(मुस्लिम, अबूदाऊद)**

(11) मर्द के लिए औ़रत के पिछले रास्ते से सोह़बत करना ह़राम है क्योंकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स की तरफ़ रह़मत की नज़र न फ़रमाएँगे जो अपनी बीवी के पिछले रास्ते से सोह़बत करे"। **(नसई, इब्ने ह़ब्बान)**

रसूलुल्लाह ने इर्शाद फ़रमाया कि जो शख़्स औ़रतों के पिछले रास्ते से सोह़बत (सम्भोग) करता है वह मल्ऊन है। **(अबूदाऊद)**

(12) ह़ैज़ व निफ़ास की ह़ालत में औ़रत से ह़मबिस्तरी करना ह़राम है। इसलिए कि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है-

तो ह़ैज़ के ज़माने में तुम औ़रतों से अलग रहा करो। (सूरः बक़रः आयत नं० 222)

निफ़ास की ह़ालत (यानी जब बच्चा पैदा होता है उस के बाद) में औ़रतों से हमबिस्तरी का ह़राम होना साबित है यानी निफ़ास को ह़ैज़ पर क़यास किया गया है इसलिए कि दोनों का कारण एक ही है और इस के ह़राम होने पर पूरी उम्मत सहमत है।

भाग-2

मर्द की ज़िम्मेदारियाँ

मर्द की ज़िम्मेदारियाँ

इस्लाम ने मर्द पर औ़रत के महेर, नफ़्क़ा और निगेहबानी व ख़बरग़ीरी की ज़िम्मेदारी रखी है। इसलिए वह मर्द को औ़रत पर चन्द ऐसे अख़्तियारात अ़ता करता है जो घरेलू ज़िन्दगी का नज़्म बरक़रार रखने और अपने घर के अख़्लाक़ और अच्छे समाज की हिफ़ाज़त करने और ख़ुद अपने हुक़ूक़ को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस को ह़ासिल होने ज़रूरी हैं।

मर्द का पहला फ़र्ज़ यह है कि औ़रतों को महेर अदा करे।

अल्लाह तआ़ला का इर्शाद हैः

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

और तुम औ़रतों को उनके महेर ख़ुशी से अदा कर दिया करो।

(सूरः निसा आयत नं० 4)

निकाह़ के वक़्त से महेर के बाद मर्द पर तीन चीज़ें वाजिब हो जाती हैंः-

(1) बीवी का खाना

(2) कपड़ा (चाहे ख़ुद औ़रत कितनी ही मालदार हो।)

(3) रिहाइश के लिए मकान। हाँ, अगर औ़रत बावजूद बुलाने के बिलावजह शरई़ मर्द के घर नहीं जाती या बग़ैर इजाज़त बिलावजह मर्द के घर से मैके चली जाती है तो जब तक मर्द के घर लौट कर न आएगी नान व नफ़्क़ा (ख़र्चा) मर्द के ज़िम्मे वाजिब नहीं होगा। अगर मर्द की इजाज़त से माँ-बाप या किसी क़रीबी मह़रम के घर गई है तब भी उतने दिन का नान व नफ़्क़ा मर्द के ज़िम्मे है।

बीमारी के ज़माने में नान व नफ़्क़ा भी मर्द के ज़िम्मे वाजिब है चाहे मर्द के घर पर बीमार हो या मैके में, लेकिन ऐसी ह़ालत में शौहर अपने घर पर बुलाये और औ़रत बिलाहक़ शरई़ जाने से इन्कार करे, तो औ़रत नान व नफ़्क़ा (ख़र्चा) की ह़क़्दार नहीं रहती। **(दुर्रे मुख़्तार)**

सफ़र-ए-ह़ज के ज़माने का नान व नफ़्क़ा शौहर (पति) के ज़िम्मे नहीं है। हाँ, अगर शौहर के साथ जाए तो शौहर के ज़िम्मे किराया होगा या शौहर (पति)

खुद ले जाए तब भी किराया शौहर ही के ज़िम्मे लाज़िम होगा। **(दुर्रे मुख़्तार, शामी)**

ज़ीनत की चीज़ें

इसी तरह सफ़ाई और ज़ीनत की चीज़ें जैसे- तेल, कंघी, साबुन वग़ैरह मर्द के ज़िम्मे हैं। पान वग़ैरह शौहर के ज़िम्मे वाजिब नहीं, उस को अख़्तियार है और ज़ेवर भी मर्द के ज़िम्मे वाजिब नहीं, उस की खुशी पर है।

बच्चे का दूध

बच्चे को दूध पिलाना क़ानूनन वाजिब नहीं, लेकिन दियानतन वाजिब है इसलिए कि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद हैः-

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

"और माएँ अपनी औलाद को दूध पिलायें"। **(सूरः बक़रः आयत नं० 233)**

अगर बाप मोह़ताज है दूध पिलाने वाली को उजूरत पर नहीं रख सकता या ऊपर का दूध बच्चे को नहीं भाता तो हर ह़ाल में औ़रत पर ही दूध पिलाना वाजिब है।

अगर किसी दूध पिलाने वाली से दूध पिलवाये तो माँ के सामने और उस की निगरानी में पास रहकर दूध पिलाने वाली शर्त ज़रूरी है। **(शामी, दुर्रे मुख़्तार)**

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः-

وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ

"और उन को तंग करने की ग़र्ज़ से तक्लीफ़ न पहुँचाओ"।

(सूरः तलाक़ आयत नं० 6)

"इस तरह़ न तो माँ को उस के बच्चे की वजह से नुक़्सान पहुँचाया जाए और न बाप को उस के बच्चे की वजह से नुक़्सान पहुँचाया जाए"।

दवा इ़लाज का ख़र्च

दवा इ़लाज और डाक्टर का ख़र्चा मर्द के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। मर्द को अख़्तियार है। **(बहरुर्रायक, आ़लमग़ीरी, दुर्रेमुख़्तार, फ़त्हुलक़दीर वग़ैरह)**

लेकिन हिन्दुस्तान में चूंकि इस ख़र्चे का उ़र्फ़ ठहर चुका है, इसलिए औ़रतें इस का मुताल्बा करती हैं और उर्फ़ में भी मर्द को ज़िम्मेदार समझा जाता हैं। सब के ज़ेहन में यही बात रहती है और जो उर्फ़ (समाज) में इस पर लापरवाही करता है उस पर मलामत की जाती है और मर्द को ज़ालिम समझा जाता है और अगर पहले से यह मालूम हो कि मर्द इलाज नहीं कराएगा तो कोई औ़रत निकाह़ के लिए हरगिज़ तैयार न होगी, लिहाज़ा यह ख़र्चा भी शरअ़न वाजिब न था, लेकिन उर्फ़ (सामाजिक ह़ालात) की वजह से शौहर के ज़िम्मे वाजिब हो गया है।

اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ

"मशहूर मिस्ल मशरूत के होता है"। **(शामी)**

इस तरह़ हर वह ख़र्चा उ़र्फ़े आ़म में जो शौहर के ज़िम्मे समझा जाता हो और वह आ़म हो गया हो तो वह भी मर्द के ज़िम्मे वाजिब होगा और यह हर जगह, हर ज़माने और हर क़ौम का अलग होगा और बच्चे की पैदाइश के समय का ख़र्च यानी डाक्टर की फ़ीस सही़ क़ौल के मुताबिक़ शौहर (पति) के ही ज़िम्मे है। **(शामी)**

मह़ारिम से मिलने का ह़क़

औ़रत माँ-बाप से मिलने के लिए हफ़्ते में एक बार और दूसरे मह़रमों से साल में एक बार, बाज़ के नज़्दीक महीने में एक मर्तबः और सही़ क़ौल के मुताबिक़ कभी-कभी जब मिलने का शौक़ हो उ़र्फ़ (आ़म चलन) के मुताबिक़ जाकर मिल सकती है। इसी तरह़ बीवी के घर वाले भी आकर मिल सकते हैं। मर्द को मना करने का ह़क़ नहीं है, अल्बत्ता उस से जल्दी मिलने और ज़्यादा ठहरने को मर्द अगर चाहे मना कर सकता है।

अगर बिल्कुल मना करे तो बीवी के लिए इताअ़त (मानना) जायज़ नहीं। बिला इजाज़त भी जा सकती है और उस के घर वाले आ सकते हैं, क्योंकि क़तअ़ रह़म बड़ा ज़ुल्म और ह़राम है चाहे मह़रम ज़िम्मी ही हों, लेकिन शौहर के मना करने के बावजूद चले जाने के बाद से वापसी तक के नान व नफ़्क़ा की औ़रत ह़क़्दार न रहेगी। **(शामी)**

'ह़ाशिया अल् मदनी' में है कि ह़क़्दार रहेगी, इस क़द्र नाफ़रमानी नहीं है।

(ग़ायतुलअवतार)

सही क़ौल यह है कि मर्द महरमों को औरत के पास घर में आने से मना नहीं कर सकता अगरचे मर्द का घर है, लेकिन महरमों को अन्दर आने से मना करने का उसका हक़ नहीं है। अलबत्ता रात को ठहरने या बाज़ उज़्र की वजह से बहुत ज़्यादा ठहरने को मना कर सकता है। **(शामी)**

"और मर्द व औरत के महरमों को थोड़ी देर के लिए देखने और बातचीत करने से भी मना नहीं कर सकता"।

لَمَا فِيْهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرّحِمِ

"इसलिए कि इस में कतअ़ रहम है"। **(हिदाया)**

"और औरत को अपने महारिम की बीमारपुर्सी (अ़यादत) और ताज़ियत के लिए जाने का भी हक़ और इजाज़त है। **(ग़ायतुलअवतार)**

माँ-बाप लाचार हों तो-

अगर औरत के माँ-बाप लाचार बीमार हों या ज़्यादा बूढ़े अपाहिज हो गये हों और कोई देखने वाला और ख़िद्मत करने वाला न हो तो औरत पर उन की ख़िद्मत और ख़बरगीरी ज़रूरत के मुताबिक़ लाज़िम है (चाहे हर दिन जाने की ज़रूरत पड़े) अगरचे माँ-बाप काफ़िर हों और चाहे शौहर मना भी करे तो भी जाए उस को मना करने का हक़ नहीं है। **(दुर्रे मुख़्तार-शामी)**

"और नफ़्क़ा की भी हक़्दार रहेगी, यह नाफ़रमानी नहीं है। **(ह़ाशियतुल़ मदनी)**

ग़ैर महरम के यहाँ जाने पर रोक-

ग़ैर महरम के यहाँ जाने से और शादी वग़ैरह में जाने से अगर शौहर चाहे तो मना कर सकता है और खेल-तमाशा (या पिक्चर) की मजलिसों में शिरकत की इजाज़त देना नाजायज़ है। अगर इजाज़त देगा तो दोंनो गुनाहगार होंगे। **(दुर्रेमुख़्तार शामी)**

अगर बीवी के घरवाले वाक़ई ख़राब बद्अख़्लाक़ हों और चोरी या फ़ित्ना का ख़ौफ़ हो, तो अपनी मौजूदगी में बातचीत और मुलाक़ात करा सकता है, बग़ैर किसी शरई उज़्र के रुकावट डालना सख़्त ज़ुल्म है। **(फ़तावा देवबन्द)**

नान व नफ़्क़ा (मकान और रोटी, कपड़ा)-

इन्सान के तीन दर्जे के होते हैंः-

(1) रईस (अमीर)
(2) दर्मियानी (माध्यम)
(3) ग़रीब

रिवायत में सिर्फ़ शौहर के हाल का एतिबार है यानी अगर शौहर रईस व अमीर है तो आ़म अमीरों की तरह़ और दर्मियान (माध्यम) मालदार है तो आ़म लोगों की तरह़ और अगर ग़रीब है तो आ़म ग़रीबों की तरह़ रोटी कपड़ा और रिहाइशी मकान देना और एक दूसरी रिवायत में है कि मर्द औरत दोनों के ह़ाल का एतिबार किया जाएगा। जैसे- अगर मर्द अमीर है और औरत ग़रीब ख़ानदान की है तो दर्मियानी लोगों की तरह़ रोटी कपड़ा और मकान दे सकता है। **(शामी)**

लेकिन फिर भी मुस्तह़ब यह है कि अमीरों की तरह़ जो ख़ुद खाये वही खिलाये और जैसा ख़ुद पहने वैसा ही पहनाये। **(दुर्रेमुख़्तार)**

हर दर्जे के लोग अपने-अपने दर्जे के मुताबिक़ हर मौसम के एतिबार से कपड़े दें जिस में औरत तंगी महसूस न करे।

وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

रिहाईशी मकान की शर्तें

(1) अगर कोई उज़्र शदीद और सख़्त मजबूरी न हो तो मर्द को चाहिए कि जहाँ ख़ुद रहता हो वहाँ औरत को अपने पास ही रखे।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ

"तुम उन मुतल्लक़ा औरतों के रहने को अपनी उस्अ़त के मुताबिक़ मकान दो"। **(सूरः तलाक़ आयत नं० 6)**

(2) रिहाईश मकान की दो शर्तें हैंः-

(a) सालिह़ीन (अच्छे लोगों) का पड़ोस हो।

(b) और मकान ऐसा हो जिस में वह़शत न हो क्योंकि उस में तक्लीफ़ पहुँचाना है।

(3) इसी तरह़ चोरी या आबरुरेज़ी का अगर ख़ौफ़ हो तो औ़रत के पास किसी मोनिस (साथी) को या किसी मोनिस (साथी) के पास औ़रत को रखना भी वाजिब होगा। **(दुर्रेमुख़्तार व शामी)**

اَوْ يُسْكِنُهَا عِنْدَ مَنْ لَّا يُؤْذِيْهَا

"और उन लोगों के पास रखे जो तक्लीफ़ न दें"। **(शामी)**

(4) अगर औ़रत सास, नन्द, सौत, सौतेली औलाद, देवर, जेठ, ससुर वग़ैरह की तक्लीफ़ और ईज़ा की शिकायत करे और मुताल्बा करे कि इन से अ़लैहिदा रखे तो अलग मकान में रखना होगा।

(5) अगर मौरुसी मकान के बीच में दीवार उठा कर अ़लैहि़दा कर दिया जाए तो यही अ़लैहिदगी काफ़ी होगी।

(6) शौहर बीवी की बिना रज़ामन्दी, बग़ैर ए़तिमाद और बग़ैर महेर मुअ़ज्जल (जल्दी) या मुअ़ज्जल (ताख़ीर) दिये बिना बीवी को उस के शहर से बाहर ले जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। **(फ़तावा आ़लमग़ीरी)**

(7) अगर औ़रत मारपीट या तक्लीफ़ की शिकायत करे तो पड़ोसियों की तस्दीक़ पर क़ाज़ी सख़्त तम्बीह करेगा और सज़ा भी देगा।

खाना व ख़र्चा-

इसी तरह़ खाने में अमीर और रईस के ज़िम्मे उ़म्दह क़िस्म के खाने और ग़रीबों के ज़िम्मे कम दर्जे का खाना दाल, तरकारी वग़ैरह जो उ़र्फ़ आ़म हो उस के मुताबिक़ है।

अगर मर्द मालदार है और औ़रत भी इस दर्जे की है यानी उन औ़रतों में से है जो अक्सर ख़िद्‌मती काम अपने हाथ से नहीं करतीं और उन को ऐसे कामों की आ़दत नहीं है तो उसे पका पकाया खाना या सिर्फ़ एक ख़ादिमा के ख़र्चा का अगर औ़रत मुताल्बा करे तो मर्द के ज़िम्मे मुक़र्रर किया जाएगा। जिस से वह अपनी इस क़िस्म की ख़िद्‌मत ले सके। जैसे- झाडू दिलवाना, बर्तन धुलवाना, घर साफ़ करवाना, पानी भरवाना और मसाला पिसवाना, कपड़े धुलवाना, कपड़े सिलवाना, आटा पिसवाना, रोटी पकवाना आदि।

नोट- साहि़बे माल शौहर के लिए धोवन की धुलवाई और कपड़े की सिलवाई मर्द के ज़िम्मे होगी और अगर मर्द ग़रीब है तो मर्द के ज़िम्मे केवल साबुन, पानी और सीने का सामान ला देना काफ़ी होगा, औ़रत ख़ुद धोये और ख़ुद सिले, उसकी धुलवाई व सिलाई का ख़र्च मर्द के ज़िम्मे नहीं होगा।

अगर मर्द ग़रीब है तो ख़ादिमा (नौकरानी) का ख़र्चा वाजिब नहीं

अगर मर्द ग़रीब है और वह एक ख़ादिमा के ख़र्चे का बोझ उठा नहीं सकता और पका पकाया खाना लाकर देने की भी वुस्अ़त नहीं रखता और औ़रत भी ग़रीब तब्क़े की है जिस को अपने हाथ से घर के काम-काज करने में कुछ शर्म नहीं, तो खाना-पकाने बर्तन साफ़ करने का सब काम जितना कर सकती हो, अपने हाथ से करना औ़रत पर दियानतन वाजिब है।

मर्द के ज़िम्मे सिर्फ़ सामान ला देना ज़रूरी है, औ़रत अपने हाथ से पकाये, खाये और अपने घर में झाडू दे, चुनाँचे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) और ह़ज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा में इसी तरह़ तक़्सीम कर दिया था। हाँ, अगर औ़रत इन्कार कर दे तो जब्र नहीं कर सकता।

(दुर्रे मुख़्तार और शामी)

अगर मर्द तंग दस्त है तो ख़ादिम का ख़र्चा उस पर वाजिब नहीं, बल्कि औ़रत ख़ुद अपने लिए पकाये खाये। अलबत्ता औ़रत का अपने शौहर और उस की औलाद व अ़याल की ख़िद्‌मत उस की रज़ामन्दी पर है।

(नव्वी शरह़ मुस्लिम पेज नं० 47 भाग 1)

घर के बाहर और अन्दर की ज़िम्मेदारी-

औ़रत का मन्सब शरअ़न सिर्फ़ यह है कि वह अपने नफ़्स को मर्द के घर में मर्द के सुपुर्द कर देने वाली और अपने नफ़्स को मर्द के लिए रोकने वाली और उस की इ़ज़्ज़त व आबरु की मुहाफ़िज़ होती है और औ़रत की तमाम ज़रुरियात की किफ़ालत और ज़िम्मेदारी मर्द पर वाजिब है। **(शामी)**

दोनों में इस तरह़ तक़्सीम की जाएगी कि घर के बाहर के काम मर्द के ज़िम्मे

और घर के अन्दर के काम औ़रत के ज़िम्मे मुक़र्रर होंगे, इसीलिए औ़रत उस पर उज्रत नहीं ले सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

यानी अगर मर्द तंगदस्त है तो औ़रत पर अपने नफ़्स की ख़िद्मत दियानतन वाजिब है इस वजह से उज्रत नहीं ले सकती यह हुक्म रज़ामन्दी पर है यानी किसी का उस पर ज़ोर नहीं है मगर औ़रत पर अपने तंगदस्त शौहर और अपने बच्चों की ख़िद्मत भी मुस्तहब है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी)

अगर मर्द तंगदस्त है तो माँ के ज़िम्मे अपने बच्चों की ख़िद्मत मुस्तहब होगी।

ख़र्च तय करना-

अगर शौहर (पति) ख़र्च मुक़र्रर कर के हर माह या सालाना या यौमिया ख़र्च के लिए देता है और औ़रत उस में से कुछ बचा लेती तो औ़रत ही उस की मालिक होगी। शौहर को उस में कुछ दख़ल देने का अख़्तियार न होगा और मर्द उस को आइन्दा महीने या यौम या साल के नफ़्क़ा में शुमार नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

और अगर बिला ख़यानत के ख़र्च कम पड़ जाए तो भी औ़रत ही को पूरा करना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी)

और मर्द ने जो चीज़ अपनी औ़रत को तोहफ़ा में या हुक्म के तौर पर दे दी औ़रत उस की भी मालिक है। अब उस का वापस लेना नाजायज़ होगा। (दुर्रे मुख़्तार, आ़लमग़ीरी)

औ़रत को निकाह़ फ़स्ख़ करवाने का ह़क़-

अगर कोई शख़्स रोटी, कपड़ा, मकान और रिहाईश न दे सकता हो और बावजूद वुस्अ़त के अदा न करता हो, लापरवाह हो, ग़ायब रहता हो........ उ़ल्मा-ए-अह़नाफ़ के नज़्दीक और उ़ल्मा-ए-मालकिया के फ़तूवा के मुवाफ़िक़ औ़रत अपना निकाह़ फ़स्ख़ करा सकती है। क़ाज़ी पहले नान व नफ़्क़ा की अदायगी का हुक्म देगा वरना फिर तलाक़ दिलवाएगा या खुद निकाह़ फ़स्ख़ कर देगा। अगर क़ाज़ी न हो तो तीन ज़िम्मी पंचों की जमाअ़त भी यही फ़ैसला शरायत के अनुसार कर सकती है। (अज़् हीला नाजिज़ा यानी मजमूआ़ फ़तावा उ़लमा-ए- मालकिया)

कफ़न-दफ़न का ख़र्च

जिस औ़रत का नान व नफ़्क़ा मर्द के ज़िम्मे है उस का कफ़न-दफ़न भी मर्द के ज़िम्मे होगा अगरचे औ़रत अपना माल छोड़ कर मरी हो। वह औ़रत जिस की रुख़्सती न हुई हो और वह औ़रत जो नाफ़रमान हो उस का कफ़न दफ़न शौहर की तज्हीज़ के ज़िम्मे नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी)

सामाने जहेज़ की ह़क़दार

औ़रत जहेज़ के सामान की तन्हा मालिक और उस को ख़र्च व इस्तेमाल करने का पूरा ह़क़ है। शौहर को उस में बिला इजाज़त इस्तेमाल करने का या उस से नफ़ा उठाने का ह़क़ ह़ासिल नहीं है। (शामी)

इसी तरह़ अगर मर्द ने महेर अदा नहीं किया तो औ़रत पर मर्द की इताअ़त (फ़रमाबरदारी) वाजिब नहीं और औ़रत मर्द को अपने पास क़रीब होने से जब चाहे रोक सकती है और बिला इजाज़त जब चाहे मर्द के घर से जा सकती है और बुलवाने पर आने से इन्कार कर सकती है। मर्द के लिए औ़रत को क़ाबू में रखने का कोई ह़क़ नहीं है और औ़रत नफ़्क़ा की भी ह़क़दार रहेगी क्योंकि यह नाफ़रमानी नहीं है। (आ़लमग़ीरी व शामी वग़ैरह)

औ़रत को मारने का ह़क़

जब औ़रत ज़िना का गुनाह करे, फ़ुह़श, गाली-गलौज और बद्ज़बानी से पेश आये, नमाज़ छोड़े तो ऐसी सूरत में पहले नसीह़त करे। अगर नसीह़त कारगर न हो तो बात करना छोड़ दे, फिर तम्बीह करे, अगर यह भी कारगर न हो और इस्लाह़ भी मुम्किन न हो तो तलाक़ दे सकता है जो इन्दल्लाह मब्ग़ूज़ है और जिस से अल्लाह तआ़ला का अ़र्श हिलता है। كَمَا جَآءَ فِيْ الحديث

अगर किसी वजह से तलाक़ देना गवारा न हो तो सब्र करे और नसीह़त करता रहे। शौहर को अपने हुक़ूक़ पर जब्र करने का भी ह़क़ है और शौहर इन वजूह में मार भी सकता है।

فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ मगर ज़्यादा न मारे जिस से निशान पड़ जाये या

तक्लीफ़ पहुँच जाए और चेहरे पर तमांचा मारने की मुमानिअ़त है كَمَا جَآءَ فِى الحديث قَالَ عَطَاءُ ضَرْباً غَيْرُ مُبَرِّحٍ بِالسِّوَاكِ हज़रत अ़ता फ़रमाते हैं कि मिस्वाक से मारे।

इस के अ़लावा मर्द को मामूली बात पर मारने का हक़ नहीं है, बल्कि सख़्त मुमानिअ़त है।

لَا تَضْرِبُوْا اِمَآءَ اللهِ وَلَا تُقَبِّحُوْهُنَّ

"मत मारो तुम अल्लाह की बन्दियों को और न उन को बुरा भला कहो"।

एक क़ौल में है कि मर्द को नमाज़ के तर्क पर मारने का हक़ नहीं है, क्योंकि यह हक़ अल्लाह का है, मर्द का इस में कोई हक़ नहीं है। **(दुर्रेमुख़्तार)**

इस में हिक्मत यह है कि मारने और बुरा भला कहने से दिल में नफ़रत पैदा होती रहती है।

तलाक़

एक अधिकार मर्द को यह दिया गया है कि जिस औ़रत के साथ वह निबाह न कर सकता हो, उस को तलाक़ दे सकता है। चूँकि मर्द अपना माल ख़र्च कर के निकाह़ करता है इसलिए इन हुक़ूक़ से अलग होने का अख़्तियार भी उस को दिया गया है। जैसे-

1- तलाक़ 2- ख़ुलअ़ 3- क़ज़ा-ए-क़ाज़ी

तलाक़ की शर्तें-

शरीअ़ते इस्लामी तलाक़ को पसन्द नहीं करती। नबी करीम (सल्ल०) का इर्शाद है, "अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक ह़लाल चीज़ों में सब से ज़्यादा नापसन्दीदा चीज़ तलाक़ है। शादियाँ करो और तलाक़ न दो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला मज़ा चखने वालों और मज़ा चखने वालियों को पसन्द नहीं करता है।"

दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया-

"उन के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तुम को नापसन्द भी हों तो हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसन्द करो और अल्लाह तआ़ला उस में बहुत कुछ भलाई रख दे।" **(सूरः निसा आयत नं० 19)**

लेकिन अगर निबाह न कर सकते हो तो तुम को हक़ है कि उस को तलाक़ दे दो, मगर अचानक छोड़ देना दुरुस्त नहीं।

एक-एक महीने के फ़ासले से एक-एक तलाक़ देना चाहिए। तीसरे महीने के ख़त्म तक सोचने समझने का मौक़ा ह़ासिल रहेगा। मुम्किन है कि सुधार की कोई सूरत निकल आये या औ़रत के रवैये में कोई तब्दीली आ जाए या ख़ुद दिल बदल जाए। अलबत्ता अगर इस मोहलत में सोचने और समझने के बावजूद तुम्हारा फ़ैसला यही हो कि उस औ़रत को छोड़ देना चाहिए तो फिर चाहो तो तीसरे महीने के आख़िर तक आख़िरी तलाक़ दे दो वरना रुजूअ़ के बग़ैर यूँ ही इद्दत गुज़र जाने दो।"

अल्लाह तआ़ला का इर्शाद हैः-

"तलाक़ वाली औ़रतें अपने आप को तीन हैज़ों तक इन्तिज़ार में रखें, अगर उन के शौहर इस्लाह़ का इरादा रखते हों तो इस मुद्दत में वह उन को लौटा लेने के ज़्यादा ह़क़्दार होंगे।" **(सूरः बक़रः आयत नं० 228)**

उस के साथ यह हुक्म है कि तीन महीने की इस मुद्दत में औ़रत को अपने घर से न भेजो बल्कि अपने साथ रखो। मुम्किन है कि साथ रहने से दिल मिलने की कोई सूरत निकल आये।

"जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो तो इद्दत के ज़माने में रुजूअ़ की गुन्जाइश रखते हुए तलाक़ दो और इद्दत का ज़माना गिनते रहो और अल्लाह से डरो और उन को घरों से न निकालो और न वह ख़ुद निकलें सिवाय ऐसी सूरत के कि वह किसी खुली बद्कारी में फंस जाए यह अल्लाह की हुदूद हैं और जो अल्लाह की हुदूद से बढ़ेगा वह ख़ुद अपने आप पर ज़ुल्म करेगा तुझ को क्या ख़बर कि अल्लाह इस के बाद इस्लाह़ की कोई सूरत पैदा कर दे फिर जब मुक़र्रर की हुई मुद्दत ख़त्म होने को पहुँचने लगे तो या उन को भले तरीक़े से रोक लो या भले तरीक़े से अलग हो जाओ।" **(सूरः तलाक़ 1, 2)**

फिर हैज़ की हालत में भी तलाक़ देने से मना किया गया है और हुक्म दिया गया है कि तलाक़ देना हो तो तुहर (पाकी) की हालत में दो।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तलाक़ के तरीक़े की तअ़लीम इस तरह दी है-

"इब्ने उ़मर! तुम ने ग़लत तरीक़ा अपनाया। सहीह़ तरीक़ा यह है कि तुहर (पाकी) का इन्तिज़ार करो फिर एक-एक तुहर (पाकी) पर एक तलाक़ दो। फिर जब वह तीसरी मर्तबः ज़ाहिर हो तो उस वक़्त तलाक़ दे दो या उस को रोक लो।"

ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि०) ने अ़र्ज़ किया, अगर मैंने उस को तीन तलाक़ दे दिया तो क्या मुझे रुजूअ़ (वापसी) का ह़क़ बाक़ी रहता? रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया, "नहीं वह जुदा हो जाती और यह गुनाह होता।"

इस से यह बात मालूम हुई कि एक वक़्त में तीन तलाक़ देना गुनाह है। ह़क़ीक़त में यह काम शरीअ़त के ख़िलाफ़ है और इस से अल्लाह के वह हुदूद टूटते हैं जिन के एह़तिराम का सूरः तलाक़ में सख़्त ताकीदी हुक्म दिया गया है।

ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि०) के बारे में है कि जो शख़्स एक मजलिस में तलाक़ देने वाला उन के पास आता वह उस को मारते थे और उस के बाद बीवी-शौहर को जुदा कर देते थे। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि०) से पूछा गया कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को एक वक़्त तीन तलाक़ें दी हैं, उस का क्या हुक्म है? आप (सल्ल०) ने फ़रमाया,

उस ने अपने रब की नाफ़रमानी की और उस की औ़रत उस से जुदा हो गई।

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) फ़रमाते हैं:-

अगर लोग तलाक़ की ठीक-ठीक हुदूद का लिहाज़ करते तो किसी शख़्स को अपनी बीवी के जुदा होने पर पश्चताप न करना पड़ता।

बीवी की अहम ज़रूरतें

मर्दों को यह बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया की हर औ़रत को तीन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है यानी वह तीन चीज़ों की तलबगार होती है।

1– सुरक्षा (Protection)

पहली ख़्वाहिश उस की सुरक्षा है। वह शौहर के लिए घरबार छोड़ कर आई है। अब यहाँ उसे अपने जान, इ़ज़्ज़त, ईमान की सुरक्षा (Protection) चाहिए।

सुरक्षा के लिए पहली बात तो यह है कि उस के लिए सर छिपाने की कोई ऐसी जगह हो जहाँ वह अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सके।

दूसरी बात यह है कि पति को चाहिए कि वह अपने पत्नी को उस की तमामतर ख़ूबियों और कमज़ोरियों के साथ अपना ले। इसलिए कि वह इन्सान भी है, उस में अच्छाईयाँ भी हो सकती हैं और कुछ कमज़ोरियाँ भी, पति को उसे उस की तमाम ख़ूबियों और कमज़ोरियों के साथ क़ुबूल कर के सुरक्षा देनी चाहिए।

(2) तवज्जोह (Attention)

इस की दूसरी अहम ज़रूरत (Demand) यह होती है कि उसे शौहर की तवज्जोह (Attention) चाहिए होती है यानी पति अपनी पत्नी को समय दे, उस के साथ वक़्त गुज़ारे, उस की ज़रूरियात को मह़सूस करे, उस का ह़ाल पूछे।

(3) हौ़सला अफ़्ज़ाई (Appreciataion)

तीसरी चीज़ बीवी चाहती है कि जब मैं शौहर की हर चीज़ की ह़िफ़ाज़त करती हूँ और शौहर के कहने के मुताबिक़ हर काम को पूरा करती हूँ तो मेरे अच्छे काम पर मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, तअ़रीफ़ होनी चाहिए और मेरी क़द्र होनी चाहिए।

जब बीवी अच्छे काम करे तो पति को उस की तअ़रीफ़ करनी चाहिए

शौहरों की ग़ल्तियाँ

कुछ ग़ल्तियाँ शौहर (पति) से ऐसी हो जाती हैं जिस की वजह से पत्नी के दिल पर वह बातें बैठ जाती हैं और तोड़ का ज़रिया बन जाती हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

(1) बीवी को नज़र अन्दाज़ करना।

(2) तलाक़ की धमकी देना।

(3) दूसरी शादी की धमकी भी देना।
(4) किसी के सामने बेइ़ज़्ज़त करना।
(5) कुछ वक़्त न देना।
(6) बीवी के लिए बिलावजह पाबन्दी लगाना।
(7) बात-बात पर नुक्ता चीनी करना।
(8) तीसरे बन्दे की वजह से बीवी से झगड़ा करना।
(9) इल्ज़ाम लगाने से बचाना।
(10) बीवी के रिश्तेदारों से बेतवज्जोही करना।

बीवी को ख़ुश रखने के उसूल

(1) हमेशा मुस्कुराते हुए घर में आये।
(2) बीवी के अच्छे कामों की तअ़रीफ़ करे।
(3) बीवी के कामों में दिलचस्पी ले।
(4) कभी बीवी को हदिया और तोहफ़ा भी दे।
(5) बीवी से मुहब्बत व मुलाक़ात का इज़्हार करे।
(6) दिल्लगी और दिलजोई की बातें करे।
(7) सब्र और दरगुज़र से काम ले।
(8) घर में शरीअ़त की पाबन्दी करवाये।
(9) शौहर-बीवी दोनों एक वक़्त में ग़ुस्सा न करें।
(10) आपस में नाराज़गी की हालत में कभी न सोएँ।

औ़रतों के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फ़रमान

● कोई मोमिन मर्द किसी औ़रत से नफ़रत न करे अगर उस की कोई आ़दत उस की नापसन्द होगी तो दूसरी आ़दत उस की पसन्द के मुताबिक़ होगी। **(मुस्लिम)**

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा गया कि सब बेहतर औ़रतें कौन हैं? फ़रमाया वह औ़रत कि जब मर्द उसे देखे तो वह

उस को ख़ुश कर दे और मर्द जब किसी काम के लिए हुक्म दे तो उस की इताअ़त करे और अपने नफ़्स और अपने माल में वह मर्द की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ न करे। **(नसई)**

● दुनिया की हर चीज़ सरमाया है और दुनिया का सब से अच्छा सरमाया नेक औ़रत है। **(मुस्लिम)**

● क्या मैं तुम को न बताँऊ कि आदमी के लिए बेहतर जमा करने वाला माल क्या है? नेक औ़रत कि जब वह उस की तरफ़ देखे तो उस को ख़ुश कर दे और जब वह उस को हुक्म दे तो उसकी इताअ़त करे और जब वह मौजूद न हो तो वह उसकी हिफ़ाज़त करे। **(अबूदाऊद)**

● क़ुर्आन में जब यह आयत उतरी कि जो लोग सोना चाँदी जमा करते हैं उनके लिए वई़द है तो बाज़ सहाबा (रज़ि०) ने कहा कि अगर हम यह जानते कि कौन सा माल बेहतर है तो उसी को लेते। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया सब से अफ़्ज़ल चीज़ अल्लाह को याद करने वाली ज़बान है और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल है और मोमिन बीवी जो उस के ईमान पर उस की मदद करे। **(अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)**

● अल्लाह के तक़्वा के बाद सब से बेहतर चीज़ जो एक मोमिन पाता है वह नेक बीवी है अगर वह उस को हुक्म दे तो वह उस की इताअ़त करे। अगर वह उस की तरफ़ देखे तो वह उस को ख़ुश कर दे और अगर वह इस पर क़सम खाए तो वह उस को पूरा कर और अगर वह उस से ग़ायब हो तो वह अपने नफ़्स और उस के माल में उस की ख़ैर ख़्वाही करे। **(इब्ने माजा)**

● चार चीज़ें हैं जिन को दी गईं तो इस दुनिया और आख़िरत की भलाई दे दी गई। शुक्र करने वाला दिल और ज़िक्र करने वाली ज़बान और मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन और ऐसी बीवी जिस के नफ़्स और अपने माल में उस को कोई डर न हो। **(अल् बैहक़ी)**

● दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ नेक बीवी से बेहतर नहीं। **(इब्ने माजा)**

● जिस शख़्स ने तीन लड़कियों की परवरिश की फिर उनको अदब सिखाया और उनकी शादी की और उनके साथ अच्छा सुलूक किया तो उस के लिए

जन्नत है। (अबूदाऊद)

- जिस शख़्स के यहाँ लड़की हो फिर वह न उसको ज़मीन में गाड़े और न उस को कमतर समझे और न उस पर अपने लड़के को तरजीह दे तो अल्लाह उस को जन्नत में दाख़िल करेगा। (अबूदाऊद)
- क्या तुम को न बताऊँ कि अफ़्ज़ल सद्क़ः क्या है तुम्हारी लड़की जो (बेवा होने या तलाक़ होने की वजह से तुम्हारी तरफ़ लौटा दी जाए) तुम्हारे सिवा उस का कमाने वाला कोई न हो। (इब्ने माजा)

औ़रत के सम्बन्ध में क़ुर्आन की तअ़लीमात

क़ुर्आन व ह़दीस में तफ़्सील के साथ औ़रत के सम्बन्ध में अह़काम हैं। औ़रत और मर्द के आपसी सम्बन्ध के बारे में साफ़ तअ़लीमात हैं। यहाँ उन में से कुछ आयात और अह़ादीस का तर्जुमः नक़्ल किया जाता है।

- औ़रतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर वह तुम को नापसन्द हों तो हो सकता है कि तुम्हें एक चीज़ नापसन्द हो मगर अल्लाह ने उस में तुम्हारे लिए बहुत भलाई रख दी हो। (सूरः निसा-19)
- और औ़रतों के लिए भी मशहूर तरीक़ा वही है जो मर्दों के लिए है और मर्दों को उन पर एक दर्जा ह़ासिल है और अल्लाह ग़ालिब और ह़कीम है। (सूरः अल् बक़रः-228)
- मर्दों के लिए इस में ह़िस्सा है जो माँ-बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा और औ़रतों के लिए इस में ह़िस्सा है जो माँ-बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा यह ह़िस्सा मुक़र्रर है। (सूरः निसा-7)
- जिस ने बुरा अ़मल किया उस को उसी के बक़द्र बदला मिलेगा और जिस ने नेक अ़मल किया चाहे मर्द हो या औ़रत, बशर्ते कि मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे वहाँ उन को बेह़िसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। (अल् मोमिन-40)
- और जो कोई नेक अ़मल करेगा, वह मर्द हो या औ़रत बशर्ते कि वह मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन की ज़रा सी भी ह़क़तल्फ़ी

न की जाएगी। (अन् निसा-124)

- और जो कोई नेक अ़मल करेगा चाहे वह मर्द हो या औ़रत बशर्ते कि वह मोमिन हो तो हम उस को जिलाएँगें अच्छा जिलाना और उन को अज्र देंगे उन के बेहतरीन अ़मल के मुताबिक़ जो वह करते थे। (सूरः नह़्ल-97)
- बस उनके रब ने उन को जवाब दिया कि मैं तुम में से किसी का अ़मल ज़ाया करने वाला नहीं, चाहे वह मर्द हो या औ़रत तुम सब एक दूसरे से हो। बस जब लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गये और मेरी राह में सताये गये वह लड़े और मारे गये उन की ख़ताएँ ज़रूर दूर करुँगा उन को ऐसे बाग़ों में दाख़िल करुँगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी, यह उनका बदला है अल्लाह तआ़ला के यहाँ और बेहतरीन बदला अल्लाह ही के पास है। (आले इम्रान-195)

भाग-3

बीवी की ज़िम्मेदारियाँ

बीवी की ज़िम्मेदारियाँ

औ़रत पर मर्द का पहला ह़क़ क़ुर्आन मजीद में इस तरह़ बयान किया गया है।

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

(सूरः निसा आयत नं० 24)

जो नेक औ़रतें हैं वह इताअ़त करने वाली और ग़ैब की ह़िफ़ाज़त करने वाली हैं अल्लाह तआ़ला की ह़िफ़ाज़त के मातह़ेत

हर उस चीज़ की ह़िफ़ाज़त करना जो शौहर की हो और उस की ग़ैर मौजूदगी में बतौरे अमानत औ़रत के पास रहे। उस में उस के नसब की हिफ़ाज़त, उस की आबरू की ह़िफ़ाज़त, उस के नुत्फ़े की ह़िफ़ाज़त, उस के माल की ह़िफ़ाज़त, उस के राज़ों की ह़िफ़ाज़त यह सब ही इस में आ जाता है। अगर औ़रत इन हुक़ूक़ में किसी ह़क़ को अदा करने में कोताही करे तो मर्द को अपने प्राप्त अधिकार इस्तेमाल करने का ह़क़ होगा जिन का ज़िक्र आगे आ रहा है।

मर्द का एक ह़क़ यह है कि औ़रत उस की इताअ़त करे فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ जो नेक औ़रतें हैं वह शौहरों की इताअ़त करने वाली होती हैं यह एक आ़म हुक्म है।

अपने शौहर के हर जायज़ काम को मानना और उसे ख़ुश रखना, उस के माल और औलाद की निगरानी करना बीवी की ज़िम्मेदारी है। ख़ासतौर पर जब कि शौहर मौजूद न हो (सफ़र वग़ैरह पर गया हो) उस वक़्त बीवी की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ख़िलाफ़े शरीअ़त काम करने पर हर एक दूसरे को टोक सकता है, किसी ख़िलाफ़े शरीअ़त काम में इताअ़त न की जाए चाहे उस पर शौहर नाराज़ ही हो। जैसे-

शौहर अगर ग़ैर मह़रम दोस्त के सामने आने के लिए बीवी से कहे तो बीवी उस की यह बात न माने, मगर जायज़ तरीक़े से दोनों एक दूसरे की दिलजोई की कोशिश करते रहें और दिल दुखाने से बचें, एक दूसरे के ऐ़बों को छुपाते रहें।

औ़रत पर शौहर की इताअ़त

(1) शौहर, औ़रत के नफ़्स पर ह़ाकिम है। औ़रत को अपने नफ़्स के बारे में इन्कार करने का बिल्कुल किसी वक़्त ह़क़ नहीं है। اِلَّا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ لَهٗ लेकिन उन चीज़ों के बारे में जिसको अल्लाह ने ह़राम किया है।

(2) और न बिला रज़ामन्दी और बिला उ़ज़्र बाहर जाने का ह़क़ है मगर इन उ़ज़्र में जैसे मर्द की ग़ैर मौजूदगी में घर गिर गया या गिरने का अन्देशा हो या आग लग जाए या घर का मालिक निकाल दे या तन्हा रात को मय्यित या मौत से ख़ौफ़ खाये या तन्हा मकान में वह़शत हो, चोर या आबरुरेज़ी का अन्देशा हो या मर्द ने नान व नफ़्क़ा का इन्तिज़ाम न किया हो और शौहर की मौजूदगी में जैसे- शौहर खुद ज़ुल्मन निकाल दे या शौहर तक्लीफ़ से या पूरा नफ़्क़ा न देने की वजह से तंग आ गई हो या मर्द के रिश्तेदारों की तक्लीफ़ से मजबूर हो और मर्द उन को मना न करता हो और उन से अ़लैह़िदा मकान में नहीं रखता या बीमार है और कोई तीमारदार नहीं।

या औ़रत को उस के वालिदैन की ख़बरगीरी और ख़िद्मत करने या मह़रमों से मिलने से रोकता हो या किसी गुनाह कबीरा या किसी ख़िद्मत के करने पर जब्र व इक्राह करता हो या महेर मुअ़ज्जल अदा नहीं किया या ह़ज फ़र्ज़ हो और कोई जाने वाला न हो, इन सूरतों में बेवजह मजबूरी इज़्तिरारी या ज़रूरत शरई या अपने हुक़ूक़ के मतालिबा के लिए बिला इजाज़त घर से निकल सकती है।

(3) इसी तरह़ औ़रत किसी ग़ैर मह़रम को बिला इजाज़त घर में नहीं बुला सकती है।

(4) और न अकेले में किसी ग़ैर मह़रम के पास बैठ सकती है अगरचे पर्दा ह़ायल हो।

(5) न तन्हाई में किसी ग़ैर मह़रम से बातचीत कर सकती है।

(6) न बिला इजाज़त किसी ग़ैर मह़रम के सामने हो सकती है।

(7) न बिला इजाज़त मर्द के माल में बेजा तसर्रुफ़ और ख़यानत कर सकती है।

(8) न बिला इजाज़त ज़ीनत तर्क कर सकती है, क्योंकि ज़ीनत भी मर्द का ह़क़

है जैसे मर्द की ज़ीनत औ़रत का ह़क़ है।

(9) न बिला इजाज़त नफ़्ली रोज़ा रख सकती है। इन उमूर में शौहर की इजाअ़त वाजिब है। अगर इन चीज़ों में इताअ़त न करे तो वह नाफ़रमान कहलाती है। नाजायज़ उमूर, क़तअ़ रह़म और तर्के वाजिबात में औ़रत मर्द की हरग़िज़ फ़रमाँबरदारी नहीं कर सकती।

(10) औ़रत मर्द के माल में से बिला इजाज़त किसी को बतौर बदला या हदिया देने की ह़क़दार नहीं है, सिवाय यह कि बिल्मअ़रूफ़ यानी उ़र्फ़ में औ़रतें जिस क़द्र बिला इजाज़त देने की मुस्तह़िक़ हैं और शौहर आ़मतौर पर कुछ गिरफ़्त नहीं किया करते बस उतना ही बिना इजाज़त दे सकती है, इस में मर्द व औ़रत दोनों को सवाब मिलता है كَمَا جَآءَ فِىْ الحديث और मर्द को चाहिए कि 'अम्र बिल् मअ़रूफ़' हदिया या बदला देने की उन को इजाज़त भी दे दे।

नोट- औ़रत को ऐसा तरीक़ा अख़्तियार करना चाहिए जिस से मर्द को पूरा-पूरा एतिमाद हो और हमेशा उस से खुश रहे और मर्द भी वह तरीक़ा अख़्तियार करे जिस से औ़रत बेफ़िक्र और खुश व दियानतदार और दस्ते निगर रहे और बक़द्रे ज़रूरत बिल्मअ़रूफ़ ख़र्च कर सके और अगर मर्द की तबीअ़त में बुख़्ल हो तो फिर औ़रत को मर्द से छुपा कर बिल्मअ़रूफ़ ख़र्च करने का भी ह़क़ है।

ख़ुलअ़

शरीअ़त ने जिस तरह़ मर्द को यह ह़क़ दिया है कि जिस औ़रत को वह नापसन्द करता है और जिस के साथ वह किसी तरह़ निबाह़ नहीं कर सकता उसे तलाक़ दे दे। उसी तरह़ औ़रत को भी यह ह़क़ दिया है कि जिस मर्द को वह नापसन्द करती हो और किसी तरह़ उस के साथ गुज़र बसर न कर सकती हो उस से ख़ुलअ़ ह़ासिल कर ले।

मर्द हो या औ़रत हर एक को तलाक़ या ख़ुलअ़ (कुछ दे दिलाकर छुट्कारा ह़ासिल करना) का अख़्तियार सिर्फ़ एक आख़िरी चारा के तौर पर इस्तेमाल करना

चाहिए। न यह कि केवल इच्छा को पूरा करने के लिए तलाक़ व ख़ुलअ़ को खेल बना लिया जाए। चुनाँचे अहादीस में नबी (सल्ल०) के इर्शादात नक़्ल किये गये हैं कि तलाक़ देने वाले पर अल्लाह ने लअ़नत की है। जिस किसी औ़रत ने अपने शौहर से उस की किसी ज़्यादती के बिना ख़ुलअ़ किया। उस पर अल्लाह मलायका और सब लोगों की लअ़नत होगी।

निकाह़ का मक़्सद पूरा न हो रहा हो और जबरन एक दूसरे के साथ केवल इसलिए बँधे रहे कि इस से आज़ाद होने की कोई सूरत न हो।

औ़रत को भी ख़ुलअ़ का ह़क़ देने के साथ चन्द शर्तें लगा दी गई हैं जिन को क़ुर्आन मजीद में इस तरह़ बयान किया गया है।

> "तुम्हारे लिए ह़लाल नहीं है कि जो कुछ तुम बीवियों को दे चुके हो उस में से कुछ भी वापस लो, सिवाय यह कि मियाँ-बीवी को यह ख़ौफ़ हो कि अल्लाह की हुदूद पर क़ायम न रह सकेंगे, तो ऐसी सूरत में जब कि तुम को ख़ौफ़ हो कि मियाँ-बीवी अल्लाह की हुदूद पर क़ायम न रह सकेंगे, कोई ह़र्ज नहीं अगर औ़रत को कुछ बदला देकर अ़क़्दे निकाह़ से आज़ादी ह़ासिल कर ले।" **(सूरः बक़रः 229)**

1- ख़ुलअ़ ऐसी ह़ालत में होना चाहिए जब कि अल्लाह के हुक्म के टूट जाने का ख़ौफ़ हो। अगरचे ख़ुलअ़ एक बुरी चीज़ है, जिस तरह़ तलाक़ बुरी चीज़ है। लेकिन जब यह ख़ौफ़ हो कि अल्लाह के हुक्म टूट जाएँगे तो ख़ुलअ़ कर लेने में कोई बुराई नहीं।

2- जब औ़रत अ़क़्दे निकाह़ से आज़ाद होना चाहे तो वह भी इसी तरह़ माल की क़ुर्बानी गवारा करे, जिस तरह़ मर्द को अपनी ख़्वाहिश से तलाक़ देने की सूरत में गवारा करनी पड़ती है। मर्द अगर ख़ुद तलाक़ दे तो वह इस माल में से कुछ भी वापस नहीं ले सकता जो उस ने औ़रत को दिया था और अगर औ़रत जुदाई की कोशिश करे तो वह इस माल का एक ह़िस्सा या पूरा माल वापस कर के जुदा हो सकती है जो उस ने शौहर से लिया था।

3- मुआ़वज़ा देकर रिहाई ह़ासिल करने के लिए केवल फ़िद्या देने वाले की इच्छा काफ़ी नहीं है, बल्कि इस मामला उस वक़्त पूरा होता है जब कि फ़िद्या लेने

वाला भी राज़ी हो।

4- ख़ुलअ़ के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि औ़रत अपना पूरा महेर या उस का एक ह़िस्सा पेश करके अलग होने की माँग करे और मर्द उस को क़ुबूल कर के तलाक़ दे दे। ख़ुलअ़ का अ़मल दोनों की रज़ामन्दी से मुकम्मल हो जाता है।

5- अगर औ़रत फ़िद्या पेश करे और मर्द क़ुबूल न करे तो ऐसी सूरत में औ़रत को अ़दालत से रुजूअ़ करने का ह़क़ है।

बद्सूरती की बिना पर ख़ुलअ़-

ख़ुलअ़ का सब से अहम मुक़द्मा वह है जो साबित बिन क़ैस (रज़ि०) से उन की बीवियों ने ख़ुलअ़ ह़ासिल किया जो इस मुक़द्मे की रवादारी के बहुत से टुकड़े अहादीस में आये हैं, जिन को मिलाकर देखने से मालूम होता है कि साबित (रज़ि०) से उन की दो बीवियों ने ख़ुलअ़ ह़ासिल किया था। एक बीवी जमीला बिन्त उबई बिन सलोल (अ़ब्दुल्लाह उबई की बहन) का क़िस्सा यह है कि उन्हें साबित (रज़ि०) की सूरत नापसन्द थी। उन्होंने नबी (सल्ल०) के पास ख़ुलअ़ के लिए इन अल्फ़ाज़ में अपनी शिकायत पेश कीः

या रसूलल्लाह! मेरे और उस के सिर को कोई चीज़ कभी जमा नहीं कर सकती। मैंने अपना घूंघट जो उठाया तो वह सामने से चन्द आदमियों के साथ आ रहा था। मैंने देखा कि वह उन में सब से ज़्यादा काला सब से ज़्यादा पस्ता क़द और सब से ज़्यादा बदशक्ल था।

ख़ुदा की क़सम! मैं दीन या अख़्लाक़ की किसी ख़राबी के सबब से उस को नापसन्द नहीं करती बल्कि मुझे उस की बदसूरती नापसन्द है।

ख़ुदा की क़सम! अगर अल्लाह का ख़ौफ़ न होता तो जब वह मेरे पास आया था उस वक़्त मैं उस के मुँह पर थूक देती। या रसूलल्लाह (सल्ल०)! मैं जैसी ख़ूबसूरत हूँ आप (सल्ल०) देखते हैं और साबित (रज़ि०) एक बद्सूतर शख़्स है।

और मैं उस के दीन और अख़्लाक़ पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करती, मगर मुझे इस्लाम में कुफ़्र का ख़ौफ़ है।

नबी (सल्ल०) ने यह शिकायत सुनी और फ़रमाया, जो बाग़ तुझ को उस

ने दिया था वह तू वापस कर देगी? उन्होंने अ़र्ज़ किया "हाँ रसूलल्लाह! बल्कि मैं ज़्यादा भी दूँगी? रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया, ज़्यादा तो नहीं, मगर तू उस का बाग़ वापस कर दे। फिर साबित को हुक्म दिया कि बाग़ क़ुबूल कर ले और उस को एक तलाक़ दे दे।

ह़ज़रत साबित (रज़ि०) की एक और बीवी ह़बीबा (रज़ि०) बिन्त सहल अल् अन्सारिया (रज़ि०) थीं जिन का वाक़िआ़ इमाम मालिक (रह़०) और अबूदाऊद (रह़०) ने इस तरह़ नक़्ल किया है कि एक रोज़ सुबह़ सवेरे रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने मकान से बाहर निकले तो ह़बीबा (रज़ि०) को खड़ा पाया। दर्याफ़्त फ़रमाया "क्या बात है?" उन्होंने अ़र्ज़ किया, "मेरी और साबित की निभ नहीं सकती।" जब साबित (रज़ि०) ह़ाज़िर हुए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि यह ह़बीबा बिन्त सहल (रज़ि०) है। उस ने बयान किया जो कुछ अल्लाह ने चाहा कि बयान करे। ह़बीबा (रज़ि०) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! जो कुछ साबित (रज़ि०) ने मुझे दिया है वह सब मेरे पास है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने साबित (रज़ि०) को हुक्म दिया कि वह ले ले और उस को छोड़ दे।

ह़ज़रत अबूदाऊद और इब्ने जरीर ने ह़ज़रत आ़ईशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से इस वाक़िये को इस तरह़ रिवायत किया है कि साबित (रज़ि०) ने ह़बीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को इतना मारा था कि उन की हड्डी टूट गई। ह़बीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने आकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से शिकायत की। आप (सल्ल०) ने साबित (रज़ि०) को हुक्म दिया कि उस के माल का एक ह़िस्सा ले ले और अलग हो जाए।

मगर इब्ने माजा ने ह़बीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के जो अल्फ़ाज़ नक़्ल किये हैं उन से मालूम होता है कि ह़बीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को भी साबित (रज़ि०) के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वह मारपीट की नहीं बल्कि बद्सूरती की थी। चुनाँचे उन्होंने वही अल्फ़ाज़ कहे जो दूसरी अह़ादीस में जमीला से मन्क़ूल हैं यानी अगर मुझे अल्लाह का ख़ौफ़ न होता तो साबित (रज़ि०) के मुँह पर थूक देती।

लिआ़न

शौहर चाहे अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाये या औलाद के बारे में कहे कि वह उस की नहीं है, दोनों सूरतों में लिआ़न वाजिब हो जाता है। नबी (सल्ल०)

के सामने एक ऐसा मुक़द्मा पेश हुआ तो आप (सल्ल०) ने दोनों को सम्बोधित कर के तीन बार फ़रमाया, अल्लाह ख़ूब जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा है फिर क्या तुम में से कोई तौबः करेगा? जब दोनों ने तौबः से मुँह मोड़ा तो आप (सल्ल०) ने क़ुर्आन मजीद की हिदायत के मुताबिक़ पहले शौहर से चार क़समें इस बात पर लीं कि जो इल्ज़ाम उस ने लगाया है वह सह़ी है और पाँचवीं मर्तबः उसी से यह कहलवाया कि अगर वह झूठा है तो उस पर ख़ुदा की लअ़नत।

फिर इसी तरह़ चार क़समें औ़रत से लीं कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह ग़लत है और पाँचवीं बार उस से कहलवाया कि अगर यह इल्ज़ाम सह़ी हो तो उस पर ख़ुदा की लअ़नत।

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया, यह है अलग होने का तरीक़ा। हर लिआ़न करने वाले मियाँ-बीवी के दर्मियान क़ियामत तक के लिए, इस जुदाई के बाद वह कभी जमा नहीं हो सकते।"

शौहर ने अ़र्ज़ किया कि जो माल मैंने उस को महेर में दिया था वह वापस दिलवाया जाए। आप (सल्ल०) ने जवाब दिया, माल तुझे नहीं मिल सकता। अगर तू ने सच्चा इल्ज़ाम लगाया है तो यह माल उस का मुआ़वज़ा है जो तू उस से उठा चुका है और अगर तूने झूठी तोहमत लगाई है तो माल की वापसी का ह़क़ तुझ से और भी ज़्यादा दूर हो गया।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) के इस फ़ैसले से यह अह़काम निकलते हैं।

(1) लिआ़न क़ाज़ी के सामने होना चाहिए। औ़रत और मर्द आपस में या अपने रिश्तेदारों के सामने लिआ़न नहीं कर सकते न ऐसे लिआ़न से जुदाई हो सकती है।

(2) लिआ़न से पहले क़ाज़ी औ़रत और मर्द दोनों को मौक़ा देगा कि उन में कोई एक क़ुसूर का एतिराफ़ करे जब दोनों अपनी-अपनी बात पर इस्रार करें तब लिआ़न कराया जाए।

(3) दोनों की तरफ़ से लिआ़न का काम पूरा होने के बाद क़ाज़ी एलान करेगा कि उन के दर्मियान जुदाई कर दी गई है। लेकिन इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) की राय है कि जुदाई के लिए ह़ाकिम की तरफ़ से हुक्म ज़रूरी है। तमाम

अहम अहादीस जो इस मस्ले में हम को पहुँची हैं इमाम अबूहनीफ़ा की ताईद करती हैं।

लिआ़न से जो जुदाई की जाती है वह हमेशा की है। इस के बाद दोनों अगर दोबारा आपस में निकाह़ करना चाहें तो किसी तरह़ नहीं कर सकते। इस मामले में ह़लाला का वह क़ानून भी जारी नहीं होता।

(5) लिआ़न से महेर ख़त्म नहीं होता चाहे शौहर का इल्ज़ाम ह़क़ीक़त में सह़ीह़ हो या ग़लत, यह हर सूरत में है

अगर औ़रत पर इल्ज़ाम लगाने के बाद शौहर लिआ़न करने से इन्कार करे तो इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) की राय के अनुसार वह क़ैद किया जाएगा। इसी तरह़ अगर शौहर लिआ़न कर चुकने के बाद औ़रत लिआ़न से इन्कार करे तो शाफ़ई मालिक और अह़मद आदि की राय है कि उस को रज्म किया जाएगा और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) की राय है कि उस को क़ैद किया जाएगा।

शौहर (पति) को ख़ुश रखने के उसूल

(1) खाने को ज़िक्र व फ़िक्र के साथ पकाये।
(2) काम को वक़्त पर समेटने की आ़दत डाले।
(3) सुनी सुनाई बात को आगे बयान न करे।
(4) शौहर (पति) को दुआ़ओं के साथ रुख़सत करे।
(5) शौहर (पति) के आने से पहले अपने को और घर को साफ़ सुथरा रखे।
(6) रिश्तेदारों के यहाँ सिलह़ रह़मी की नियत से जाए।
(7) शौहर (पति) को दीन पर ख़र्च करने की तर्ग़ीब देती रहे।
(8) फ़ोन पर मुख़्तसर बात करने की आ़दत डाले।
(9) पर्दे का ख़याल रखे और कोई काम ऐसा न करें जिस की वजह से पति की नज़रों से गिर जाए।
(10) बच्चों के बारे में अपने पति से मशरवह करती रहे और शौहर (पति) की ज़रूरत पूरी करने में कोई संकोच न करे।
(11) शौहर (पति) को परेशानी के वक़्त तसल्ली दे।

(12) ग़ल्ती को मान लेने में बड़ाई है और शौहर जब डाँटे तो उस वक़्त ख़ामोश रहे।
(13) अपने दिल का ग़म केवल अल्लाह के आगे बयान करे अगर ख़ालिक़ की नाफ़रमानी होती हो तो मख़्लूक़ की फ़रमाबरदारी न करे।
(14) शौहर (पति) के रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक रखे।

नेक बीवी की सिफ़ात

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने नेक बीवी की चार सिफ़ात बयान फ़रमाई हैं।

(1) पहली सिफ़त यह है कि जब उस को पति किसी बात का हुक्म करे तो वह उस के हुक्म को माने, ज़िद न करे।
(2) दूसरी सिफ़त यह है कि जब पति उस की तरफ़ देखे तो उस का दिल ख़ुश हो जाए। मतलब यह है कि वह घर में साफ़ कपड़े पहने। एक तो साफ़ सुथरी बन कर रहे और दूसरा उस के चेहरे पर पति के लिए मुस्कुराहट हो।
(3) तीसरी सिफ़त यह है कि अगर पति किसी बात पर क़सम खा ले कि यह करो यह न करो तो वह उस की क़सम को पूरा कर दे।
(4) चौथी सिफ़त यह है कि जब पति घर में न हो तो उस के माल और इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त करे।

शादी से सम्बन्धित कुछ नसीह़तें

हम सब ह़ज़रत मुह़म्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अ़लैहि़ वसल्लम) के मानने वाले हैं, इसलिए अगर हम आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि़ वसल्लम) के तरीक़े के मुताबिक़ शादी करेंगे तो वह बरकत वाली होगी और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि़ वसल्लम) के ख़िलाफ़ शादी, चाहे जितना ख़र्च कर के करें, नाख़ुशगवार और नाकाम होगी।

गुनाह का एक तरीक़ा इन्फ़िरादी (अकेले में करने का) होता है और दूसरा इज्तिमाई (सामूहिक)। इज्तिमाई का वबाल सब पर होता है। शादी में बहुत से काम और रस्म व रिवाज ऐसे होते हैं कि जो बड़े-बड़े इज्तिमाई गुनाह का ज़रिया बन जाते हैं, इसलिए ऐसे गुनाहों से ख़ुद भी एह़तियात करें और अपने तअ़ल्लुक़ात

वालों को भी समझाएँ। जैसेः-

1. मंगनी से सम्बन्धित कोई रस्म न की जाए और रस्मों में शिरकत से एह़तियात की जाए, तारीख़ रखने में किसी दिन या महीने को अशुभ न समझा जाए और तारीख़ बग़ैर किसी रस्म और ख़र्च के रखी जाए।
2. लड़की वाले के यहाँ बारात की शक्ल में बाजा गाजा के साथ न जाया जाए और न ज़्यादा बोझ डाला जाए, अगर क़रीब का मामला हो तो मुह़ल्ले के चन्द लोग मस्जिद में एलान कर के निकाह़ कर लें।
3. जहेज़ से परहेज़ किया जाए और हिम्मत कर के पहले से मना कर दिया जाए कि हम जहेज़ बिल्कुल नहीं लेंगे ताकि शादियाँ आसान हो सकें और ग़रीब बच्चियों की बद्दुआ़ से बच सकें।
4. तोह़फ़ा अगर किसी को किसी भी शक्ल में जैसे- कपड़ा, बर्तन, न्यौता या रुपया दिया जाए तो उसके वापसी की उम्मीद न रखी जाए।
5. खड़े-खड़े खाना खाना इस्लामी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है और ग़ैर इस्लामी तहज़ीब को इज्तिमाई (सामूहिक) तौर से अपनाना इस्लामी तहज़ीब की तौहीन करना है, इसलिए इससे एह़तियात की जाए और सुन्नत तरीक़े को रिवाज दिया जाए।
6. औ़रतों और मर्दों को एक साथ बिठाने और खाना खिलाने से एह़तियात करना चाहिए ताकि बेपर्दगी न हो।
7. 'तरक़ा' (लड़की का ह़िस्सा) देना यानी जिस तरह़ लड़के का ह़िस्सा होता है उसी तरह़ लड़की का भी ह़िस्सा शरीअ़त ने मुतअ़य्यन किया है। इसलिए 'तरक़ा' (लड़की का ह़िस्सा) देना ज़रूरी है वरना अल्लाह के यहाँ सख़्त गिरफ़्त होगी।
8. लड़का वाला नुमाइश के लिए कोई सामान लड़की वाले के यहाँ ले जाने से परहेज़ करे, ताकि नुमाइश से बच सके। हाँ, अपने घर में जो आसानी से हो सके उस का इन्तिज़ाम कर सकता है।

नोट- इन बातों पर अ़मल के लिए मुह़ल्ले के कुछ लोग मिलकर तय कर लें तो अ़मल करना आसान हो जाता है।

Writer at a glance

Mufti Muhammad Sarwar Farooqui Nadwi (*Aacharya*)

Name	:	**Muhammad Sarwar**
Father's name	:	**Mohd Haneef**

Educational Background.

Basic	:	**Intermediate,** (Allahabad)
Higher Education	:	**M.A.** (Lucknow)
Arabic	:	**Almiat, Fazeelat & Iftah,** (Darul-Uloom- Nadwatul Ulama Lucknow (U.P.) India.
Islamic Tadreebi Course	:	**Jamia Islamiya** **Madina Munawarah** (Saudi Arabia)
Urdu	:	**Adeeb Kamil & Mua'llim**
Sanskrit	:	**Aacharya** (Banaras).
Computer skill	:	**P.G.D.C.A**
Major Research	:	**Qur'an and Fiqah,** Darul-Uloom Nadwatul-Ulama, Lucknow, U.P. (India)

Present Posts

President	: ***Jamiat Payam-e-Amn,*** (Educational Society) lucknow, U.P. (India)
Rafiq Ilmi	: ***Majlis Tahqeeqat (Islamic Research) Darul Uloom Nadwatul Ulama,*** **Lucknow,** U.P. (India)
Director	: ***Markaz- ul-Tawheed Al-Islami*** lucknow, U.P. (India)
Mang. Director	: **Jamia Dar-e-Arqam,** Fatehpur, Haswa, U.P. (India)
Manager	: **Jamia Dar-e-Arqam** (Educational Society) Allahabad (India)
Chairman	: **Arqum Model School,** Lucknow, U.P. (India) .
Gen. Secretary	: ***All India, Jamiat Darul-Aml*** lucknow, U.P. (India)
Manager	: ***Universal Peace Foundation*** lucknow, U.P. (India)

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साहब द्वारा लिखित हिन्दी पुस्तकें

नाम	मूल्य
1. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (साइज़ 20x30/8)	300 रू.
2. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (साइज़ 20x30/16)	110 रू.
3. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (साइज़-20x30/32)	80 रू.
4. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)	160 रू.
5. तफ़्सीर फ़ारूक़ी {भाग-1} (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 1 से 5 तक)	400 रू.
6. तफ़्सीर फ़ारूक़ी {भाग-2} (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 10 तक)	400 रू.
7. तफ़्सीर फ़ारूक़ी {भाग-3} (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 10 से 18 तक)	400 रू
8. तफ़्सीर फ़ारूक़ी {भाग-4} (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 19 से 25 तक)	400 रू.
9. तफ़्सीर फ़ारूक़ी {भाग-5} (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 26 से 30 तक)	400 रू.
तफ़्सीर फ़ारूक़ी (मुकम्मल सेट) (भाग 1 से 5 तक)	2000 रू
10. इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले हक़ के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में	200 रू.
11. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम	120 रू.
12. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन	80 रू.
13. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Hard bound)	90 रू.
14. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Paper back)	80 रू.
15. जन्नत के हालात और जन्नती (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)	80 रू.
16. कुफ़्र और शिर्क की हक़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)	80 रू.
17. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें	80 रू.
18. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी	200 रू.
19. अल्लाह के अधिकार और बन्दों के अधिकार (क़ुर्आन व हदीस की रौशनी में)	80 रू.
20. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें	110 रू.
21. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद	60 रू.
22. इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से	60 रू.
23. अज़ान क्या है?	30 रू.
24. आओ नमाज़ की ओर	48 रू.
25. रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	40 रू.
26. हज और उमरा का आसान तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	30 रू.

नाम	मूल्य
27. ज़कात का हुक्म और उसके मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	40 रू.
28. आपके सवालों का आसान हल (भाग एक)	60 रू.
29. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअ़वीज़,गंडे (शरीअ़त की रोशनी में)	40 रू.
30. इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में)	60 रू.
31. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में)	40 रू.
32. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पाकीज़ह ज़िन्दगी	40 रू.
33. बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियाँ (शरीअ़त की रोशनी में)	40 रू.
34. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन	160 रू.
35. सूर-ए- फ़ातिहा की तफ़्सीर	30 रू.
36. तौहीद की हक़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)	40 रू.
37. पवित्र क़ुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम	30 रू.
38. इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से	60 रू.
39. ग़ैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से)	60 रू.
40. मीरास की तक़्सीम	30 रू.
41. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअ़माले हस्ना की रौशनी में)	60 रू.
42. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही	40 रू.
43. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअ़त की रोशनी में)	30 रू.
44. अल्लाह के प्यारे नबी (सल्ल०) एक नज़र में	20 रू.
45. सृष्टि का सृष्टा कौन?	30 रू.
46. प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास	40 रू.
47. इस्लामी विरासत एक नज़र में	20 रू.
48. इस्लाम?	10 रू.

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साहब द्वारा लिखित उर्दू पुस्तकें

49. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?	140 रू.
50. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जज़ीरे अ़रब	50 रू.
51. ग़ैर मुस्लिमों से तअ़ल्लुक़ात और मज़हबी आज़ादी	40 रू.
52. इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख़्तियारात	40 रू.
53. क़ुर्आन के मिसाली नमूने और लाज़वाल मोअ़जिज़ा	40 रू.

नाम	मूल्य
54. क़ुर्आन में इन्सान का मक़ाम और उस का अअ़ला मक़्सद	40 रू.
55. आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत	40 रू.
56. इस्लामी क़ानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम	40 रू.
57. उम्मते मुहम्मदिया की इज़्ज़त का मेअ़यार और बनी इस्राईल	40 रू.
58. कायनात के अ़जायबात और इन्सान का अल्लाह से तअ़ल्लुक़	40 रू.
59. ग़ैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज़ के तनाज़ुर में)	50 रू.
60. इस्लाम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और उस की दअ़वत का असर	50 रू.
61. इस्लाम में ग़ैर मुस्लिमों के हुक़ूक़	50 रू.
62. हिन्दू धर्म, फ़िर्क़े तन्ज़ीमें और इदारों का तआरूफ़	90 रू.
63. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का ज़िक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में।	40 रू.
64. बौद्ध धर्म और इस्लाम	40 रू.
65. कलिमा-ए-तय्यबः की ह़क़ीक़त और उस के तक़ाज़े	80 रू.
66. ग़ैर मुस्लिमों में तरीक़-ए-दअ़वत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में	80 रू.
67. अल्लाह तआ़ला का तआ़र्रुफ़ और कलिम-ए-शहादत के फ़ज़ायल	70 रू.
68. क़ियामत तक के फ़ित्ने (रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई की रोशनी में)	70 रू.
69. तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	40 रू.
70. अल्लाह की तरफ़ से रिज़्क़ की तक़्सीम और कमज़ोर तब्क़े की किफ़ालत	50 रू.
71. क़ुर्आन के मुताबिक़ दौलत का इस्तेमाल	70 रू.
72. ज़कात और मसारिफ़े ज़कात (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	40 रू.
73. रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद क़ुतुबे सीरत की रोश्नी में)	40 रू.
74. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में)	30 रू.
75. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें	80 रू.
76. जन्नत के ह़ालात और जन्नत की नेअ़मतों का ज़िक्र	80 रू.
77. कुफ़्र व शिर्क की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)	80 रू.
78. कुफ़्र शिर्क और फ़िस्क़ का ज़िक्र और सहाबा से मुतअ़ल्लिक़ अ़क़ीदा	80 रू.
79. ज़बरदस्ती इस्लाम क़ुबूल करवाने की मुमानिअ़त	60 रू.

नाम	मूल्य
80. दाढ़ी की अहमियत (शरीअ़त की रोशनी में)	40 रू.
81. मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीख़ी जायज़ा	40 रू.
82. रोज़ः, तरावीह़, सदक़ः और एतिकाफ़ के एह़काम व मसायल	40 रू.
83. ह़ज और उ़मरा का मुकम्मल तरीक़ा (शरीअ़त की रोशनी में)	40 रू.
84. मुसाफ़िर और सफ़र के मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
85. काग़ज़ी नोट और बैअ़ की ह़क़ीक़त	40 रू.
86. इस्लामी क्विज़ (सवाल व जवाब की रोशनी में)	50 रू.
87. तफ़्सीर का बुनियादी मअ़ख़ज़	30 रू.
88. हिन्दुस्तान में क़ुर्आन के तर्जुमे की शुरुआ़त और चन्द तफ़ासीर का तआ़र्रुफ़	30 रू.
89. इस्लाम में तिजारत का तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	120 रू.
90. इस्लामी मआ़शियात का तक़ाबुली जायज़ा	40 रू.
91. इस्लाम का ज़रई निज़ाम	40 रू.
92. दौलत की पैदाईश और अतियाते क़ुदरत	40 रू.
93. मुसलमानों के फ़िर्क़े और उनके अ़क़ायद	80 रू.
94. इस्लाम में औ़रत का मक़ाम	50 रू.
95. तअ़द्दुदे इज़्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आ़लिम की रौशनी में)	60 रू.
96. ह़राम, ह़लाल और मुबाह चीज़ें	30 रू.
97. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) की सिफ़ात	30 रू.
98. जहन्नम के ह़ालात और जहन्नमी	60 रू.
99. मुस्तनद मस्नून दुआ़एँ	20 रू.
100. इस्लाम की दअ़वत का असर इन्सानी दुनिया पर	50 रू.
101. क़ुर्आनी आयात और इस्लामी मुआ़शरा	30 रू.
102. अअ़माले ह़स्ना (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	100 रू.
103. आख़िरत का अ़क़ीदा (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	50 रू.
104. इख़्लास की फ़ज़ीलत (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	50 रू.
105. दअ़वत की ज़िम्मेदारी (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	50 रू.
106. ईदैन व क़ुर्बानी के मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	90 रू.
107. ख़ातिमुन्नबीईन (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	90 रू.

नाम	मूल्य
108. जिन्नात और शैतान का ज़िक्र (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
109. नबियों की जीवनी (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	100 रू.
110. ईमानियात, अ़क़ायद और नज़र से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
111. इ़ल्म से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
112. तहारत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
113. ह़िफ़ाज़ते क़ुर्आन से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
114. नमाज़ व जमाअ़त से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
115. ई़दैन व जुमअ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	50 रू.
116. तरावीह़ व एतिकाफ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	50 रू.
117. सफ़र और सद्क़-ए-फ़ित्र से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
118. क़ुर्बानी से मुतअल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
119. तलाक़ व इद्दत और नफ़्क़ा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
120. निकाह से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
121. ह़िबा व जहेज़ से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
122. वक़्फ़ से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
123. मस्जिद से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
124. तिजारत की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों से मुतअ़ल्लिक मसायल(क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
125. वसीयत व मीरास से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
126. अज़ान व इक़ामत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
127. तर्बियत, रज़ाअ़त व अ़क़ीक़ा से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
128. ज़कात से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
129. ह़ज से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
130. इमामत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
131. क़िरत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
132. सज्द-ए-तिलावत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
133. इस्लामी पर्दा (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	80 रू.
134. मीरास से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साह़ब की अ़रबी पुस्तकें

135. ग़ज़्व-ए-हुनैन व तायफ़ फ़ी ज़ौविल् क़ुर्आन	120 रू.
136. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अक़ाइदोहा, मुनज्ज़िमातुहा व अहदाफ़ुहा	140 रू.
137. ज़िक्र मुह़म्मदिन (सल्ल०) फ़िल् वेद	80 रू.
138. सिफ़ातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम	80 रू.

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साह़ब की अंग्रेज़ी पुस्तकें

139. मुह़म्मद दी लास्ट प्रोफ़ेट अन्डर दी शेड ऑफ़ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण	40 रू.
140. मुह़म्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ़ वरशिप	30 रू.
141. बेसिक टीचिंग आफ़ इस्लाम	80 रू.
142. दी स्वाद आफ़ इस्लाम	40 रू.
143. अज़ान, ए कालिंग फ़ार हियूमेनिटी	40 रू.
144. इस्लाम?	10 रू.

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साह़ब द्वारा अनुवाद की हुई पुस्तकें

145. मुन्तख़ब अह़ादीस (लेखक- ह़ज़रत मौलाना मुह़म्मद यूसुफ़ कान्धलवी रह०)	60 रू.
146. क़ादियानियत नुबूवते मुह़म्मदी के ख़िलाफ बग़ावत (लेखक- इमामे ह़रम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यिल)	40 रू.
147. अक़ीदतुल् वास्तिया (लेखक- अह़मद बिन अ़ब्दुल ह़लीम इब्ने तैमिया रह़०)	60 रू.
148. सलासिले अरबअ़ (लेखक-ह़ज़रत मौलाना सैय्यद अबुल ह़सन अ़ली नदवी रह़०)	30 रू.
149. दारे अरक़म का एह़सान इन्सानी दुनिया पर (लेखक- ह़ज़रत मौलाना सैय्यद अबुल ह़सन अ़ली ह़सनी नदवी रह़०)	30 रू.
150. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज़ है (लेखक- मौलाना मुह़म्मद ह़सनी रह़०)	30 रू.
151. रमज़ान का तोह़फ़ा (लेखक- मौलाना मुह़म्मद राबेअ़ ह़सनी नदवी)	20 रू.
152. यक्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुह़म्मद राबेअ़ ह़सनी नदवी)	20 रू.

नाम	मूल्य
153. मालिक व मख़्लूक़ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफ़ा क़ादरी) (तस्हीह़ व तर्तीब- मु० मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी)	30 रू.
154. यतीमों की किफ़ालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीक़ी नदवी)	40 रू.
155. सूद से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
156. किरायेदारी से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
157. कारोबार में शिरकत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	50 रू.
158. सुन्नत व नवाफ़िल से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
159. रोज़ः रुयते हिलाल से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	50 रू.
160. इल्म व उ़ल्मा से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
161. तक़्लीद व इज्तिहाद की शरई हैसियत (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	50 रू.
162. सज्द-ए-सह्व के मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
163. बिद्अ़त की नहूसत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
164. हैज़ व निफ़ास से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	40 रू.
165. ग़ैर मुस्लिमों से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
166. दो सौ समाजी मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.
167. इस्लाम के अ़दालती फ़ैसले (तारीख़ व सुन्नत की रौशनी में)	60 रू.

बीवी-शौहर (पति-पत्नी) की ज़िम्मेदारियाँ

किताबों के पढ़ने की तर्तीब (क्रम से)

इन्सान अपने इतिहास के हर दौर में यह सोचता रहा है कि वह स्वयं क्या है? वह कैसे पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ? फिर मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। जिस धरती पर वह ज़िन्दगी गुज़ार रहा है उसे किसने बनाया, जिस आसमान के नीचे वह सांस ले रहा है और जिन माध्यमों को वह काम में लाता है उन सब चीज़ों को किसने बनाया। यह वह प्रश्न हैं जो इन्सानी इतिहास के हर ज़माने में पैदा होते रहे और हर दौर के ज्ञानी वह बुद्धिजीवी और सन्देष्टा इनका जवाब देते रहे।

इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारी पुस्तकें हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं, परन्तु अलग-अलग योग्यता वालों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार क्रमशः किताबों की सूची नीचे दी गयी है, जिसमें हमने अपनी पुस्तकों को चार प्रकार के लोगों में तक़्सीम (विभाजित) किया।

(1) पहले वह जो इस्लाम से अनभिज्ञ हैं।
(2) दूसरे वह जो इस्लाम के बारे में कुछ समझ चुके हैं।
(3) तीसरे दाओ़ी ह़ज़रात के लिए
(4) चौथे नौजवान मुसलमानों के लिए।

इस्लाम को समझने वालों के लिए तोह़फ़ा

नाम	भाषा	मूल्य
(1) सृष्टि का सृष्टा कौन?	हिन्दी	30 रू.
1a. इस्लाम?	// //	10 रू.
1b. प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास	// //	40 रू.
1c. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही	// //	40 रू.
1d. अज़ान क्या है?	// //	30 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
(2) अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन	हिन्दी	120 रू.
2a. इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से	// //	60 रू.
2b. कुफ़्र और शिर्क की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	80 रू.
2c. तौह़ीद की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	40 रू.
(3) जन्नत के ह़ालात और जन्नती (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	80 रू.
3a. जहन्नम के ह़ालात और जहन्नमी	// //	50 रू.
3b. ग़ैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से)	// //	60 रू.
3c. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम	// //	120 रू.
(4) इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में	// //	200 रू.
(5) क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)	// //	160 रू.
(6) क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	// //	300 रू.
(7) तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 1 से 5 तक)		400 रू.
(8) इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से	// //	40 रू.
(9) रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें		60 रू.
(10) पवित्र क़ुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम	// //	30 रू.

क़ुबूले ह़क़ के बाद वालों के लिए तोह़फ़ा

नाम	भाषा	मूल्य
1. लाइलाह इल्लल्लाह की गवाही	हिन्दी	50 रू.
2. सह़ाबा का इस्लाम और उसके बाद	// //	60 रू.
3. आओ नमाज़ की ओर	// //	40 रू.
4. इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में	// //	200 रू.
5. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)	// //	160 रू.
6. कुफ़्र व शिर्क की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	80 रू.
7. तौह़ीद की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	40 रू.
8. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें		80 रू.
9. जन्नत के ह़ालात और जन्नत की नेअ़मतों का ज़िक्र	// //	60 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
10. जहन्नम के हालात और जहन्नमी	हिन्दी	50 रू.
11. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पाकीज़ह ज़िन्दगी	// //	40 रू.
12. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअ़माले ह़स्ना की रौशनी में)	// //	60 रू.
13. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	// //	300 रू.
14. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 1 से 5 तक)		400 रू.
15. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 10 तक)		400 रू.
16. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 10 से 18 तक)		400 रू.
17. मुन्तख़ब अहादीस	// //	60 रू.
18. ह़ज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी	// //	140 रू.
19. नबियों की जीवनी (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	// //	100 रू.
20. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम	// //	140 रू.

इंग्लिश भाषा वालों के लिए तोह़फ़ा

नाम	भाषा	मूल्य
I. इस्लाम?	अंग्रेज़ी	10 रू.
II. अज़ान, ए कालिंग फ़ार हियूमेनिटी	// //	40 रू.
III. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफ़ेट अन्डर दी शेड ऑफ़ वेद, उपनिषद ऐन्ड पुराण		40 रू.
IV. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ़ वरशिप	// //	30 रू.
V. बेसिक टीचिंग आफ़ इस्लाम	// //	80 रू.
VI. दी स्वाड आफ़ इस्लाम	// //	40 रू.

मुस्लिम नौजवानों के लिए तोह़फ़ा

नाम	भाषा	मूल्य
1. इस्लाम?	हिन्दी	10 रू.
2. आओ नमाज़ की ओर	// //	40 रू.
3. इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में	// //	200 रू.
4. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में)	// //	40 रू.
5. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में)		30 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
6. इस्लामी क्विज़ (सवाल व जवाब की रोशनी में)	हिन्दी	50 रू.
7. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)	// //	160 रू.
8. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम	// //	120 रू.
9. रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	40 रू.
10. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	// //	300 रू.
11. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 1 से 5 तक)		400 रू.
12. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 10 तक)		400 रू.
13. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 10 से 18 तक)		400 रू.
14. आपके सवालों का आसान ह़ल (भाग एक)	// //	60 रू.
15. इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में)	// //	60 रू.
16. अअ़माले ह़स्ना (क़ुर्आन व अह़ादीस की रौशनी में)	उर्दू	100 रू.
17. आख़िरत का अ़क़ीदा (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	// //	50 रू.
18. इख़्लास की फ़ज़ीलत (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	// //	50 रू.
19. आ़लमे इन्सानियत के रहबर (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	// //	100 रू.
20. नबियों की जीवनी (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)	// //	100 रू.
21. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?	// //	140 रू.
22. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअ़वीज़,गंडे (शरीअ़त की रोशनी में)	हिन्दी	40 रू.
23. रोज़ः, तरावीह़, सद्क़ः और एतिकाफ़ के एह़काम व मसायल	// //	40 रू.
24. मुसाफ़िर और सफ़र के मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	उर्दू	40 रू.
25. इस्लाम में तिजारत का तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	// //	120 रू.
26. इस्लाम में औ़रत का मक़ाम	// //	50 रू.
27. दौलत की पैदाईश और अतियाते क़ुदरत	// //	40 रू.
28. ईदैन व क़ुर्बानी के मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)	// //	90 रू.
29. अल्लाह की तरफ़ से रिज़्क़ की तक़्सीम और कमज़ोर तब्क़े की किफ़ालत	// //	50 रू.
30. क़ुर्आन के मुताबिक़ दौलत का इस्तेमाल	// //	70 रू.
31. दाढ़ी की अहमियत (शरीअ़त की रोशनी में)	// //	40 रू.
32. ह़ज और उ़मरा का मुकम्मल तरीक़ा (शरीअ़त की रोशनी में)	// //	40 रू.
33. ज़कात का हुक्म और उसके मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	// //	40 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
34. हज और उमरा का आसान तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	हिन्दी	30 रू.
35. ज़कात और मसारिफ़े ज़कात (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	〃 〃	40 रू.

दाअ़ी हज़रात के लिए तोहफ़ा

नाम	भाषा	मूल्य
1. अ़ामाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत	उर्दू	40 रू.
2. ख़ालिक़-ए-क़ायनात और हमारा उस से तअ़ल्लुक़	〃 〃	40 रू.
3. ग़ैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअ़वत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में	〃 〃	80 रू.
4. हिन्दू धर्म, फ़िर्क़े तन्ज़ीमें और इदारों का तआ़र्रुफ़	〃 〃	90 रू.
5. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?	〃 〃	140 रू.
6. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का ज़िक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में।	〃 〃	40 रू.
7. ग़ैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज़ के तनाज़ुर में)	〃 〃	50 रू.
8. इस्लाम के ख़िलाफ़ इल्तिज़ामात और उस की दअ़वत का असर	〃 〃	50 रू.
9. क़ुर्आन में इन्सान का मक़ाम और उस का अअ़्ला मक़्सद	〃 〃	40 रू.
10. क़ुर्आन के मिसाली नमूने और लाज़वाल मोअ़जिज़ा	〃 〃	40 रू.
11. ग़ैर मुस्लिमों से तअ़ल्लुक़ात और मज़हबी आज़ादी	〃 〃	40 रू.
12. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जज़ीरे अ़रब	〃 〃	40 रू.
13. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)	〃 〃	160 रू.
14. अल्लाह के अधिकार और बन्दों के अधिकार (क़ुर्आन व हदीस की रौशनी में)	〃 〃	80 रू.
15. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	हिन्दी	300 रू.
16. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 1 से 5 तक)	〃 〃	400 रू.
17. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 10 तक)	〃 〃	400 रू.
18. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 10 से 18 तक)	〃 〃	400 रू.
19. उम्मते मुहम्मदिया की इ़ज़्ज़त का मेअ़यार	उर्दू	40 रू.
20. इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख़्तियारात	〃 〃	40 रू.